

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

दिसम्बर, 2011 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011

तारांकित प्रश्नोत्तर

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरायपाली में आर्थिक अनियमितताओं की जांच

1. (*क्र. 299) श्री अग्नि चन्द्राकर : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरायपाली जिला महासमुन्द में वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 तक व्याप्त आर्थिक अनियमितताओं की जांच हेतु संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा दिनांक 18-03-2011 को जांच समिति गठित की गई थी ? (ख) यदि हां, तो जांच समिति द्वारा कब-कब कहां जांच की गई ? (ग) गठित जांच समिति द्वारा जांच पश्चात् क्या कार्यवाही की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जी हां. (ख) दिनांक 23-07-2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरायपाली में. (ग) जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

राजनांदगांव जिले में फार्मासिस्ट एवं ए.एन.एम. की नियुक्ति के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

2. (*क्र. 222) श्री भोलाराम साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2011 में सीधी भर्ती के स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट एवं ए.एन.एम. की नियुक्ति के संबंध में शासन को कब-कब किसके-किसके द्वारा क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? उक्त शिकायतों पर किस-किस सक्षम अधिकारी द्वारा कब-कब जांच करवाई एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ? (ख) क्या शिकायतकर्ता को कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) दिनांक 23-06-2011 को श्री पी. सी. जेम्स, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, जिला शाखा, राजनांदगांव एवं श्री ललित कुमार साहू, राजनांदगांव द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में की गई शिकायत प्राप्त हुई है. शिकायत की जांच हेतु डॉ. एस. के. बिंझवार, उप संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. जांच प्रक्रियाधीन है. (ख) जांच प्रक्रियाधीन होने के फलस्वरूप प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में संचालित योजनाएं

3. (*क्र. 281) डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं और उनमें कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उर्सेडी) : प्रदेश में 43763 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं. आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

जिला रायपुर में प्राथमिक साख सहकारी समितियों में आर्थिक अनियमितता व गबन की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

4. (*क्र. 158) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में जिला रायपुर के विकासखंड आरंग, अभनपुर, कसडोल एवं बिलाईगढ़ अंतर्गत किन-किन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में आर्थिक अनियमितता व गबन करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? (ख) जांच में आरोप सिद्ध होने उपरांत उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में जिला रायपुर के विकासखंड कसडोल एवं बिलाईगढ़ अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की प्राप्त आर्थिक अनियमितता व गबन की शिकायतों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है.

एस्सार द्वारा नक्सलियों को धनराशि प्रदाय किए जाने के पंजीबद्ध प्रकरण

5. (*क्र. 218) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर क्षेत्र में एस्सार द्वारा नक्सलियों को धनराशि दिये जाने के मामले में किनके-किनके विरुद्ध कब-कब, किन-किन धाराओं में अपराध कहां-कहां पंजीबद्ध किया गया है ? किनके-किनके द्वारा किनको-किनको कितनी राशि कब-कब दी गई ? अब तक किनकी-किनकी गिरफ्तारी कब-कब हुई है तथा किनसे-किनसे कब-कब पूछताछ की गई है ? प्रकरण की जांच में क्या परिणाम सामने आये ? (ख) क्या उक्त मामले की जांच हेतु एस.आई.टी. का गठन किया गया है ? यदि हां, तो गठन दिनांक से एस.आई.टी. द्वारा तिथिवार क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? प्रकरण की अद्यतन स्थिति क्या है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रथम सूचना पत्र के अनुसार जिला दन्तेवाड़ा के थाना कुआकोण्डा के अंतर्गत पालनार ग्राम के साप्ताहिक बाजार में दिनांक 09-09-2011 को ठेकेदार बी. के. लाला, निवासी किरन्दुल द्वारा एस्सार कंपनी की ओर से नक्सलियों को देने हेतु सोढ़ी सोनी एवं लिंगाराम कोड़ोपी को 15 लाख की धन राशि देते हुये बी. के. लाला एवं लिंगाराम कोड़ोपी को पकड़ा गया. सोढ़ी सोनी बाजार की भीड़ का फायदा उठाकर घटनास्थल से फरार हो गयी थी. प्रथम सूचना पत्र के अनुसार इस संबंध में थाना कुआकोण्डा में अपराध क्र.-26/2011 धारा 121, 124-ए, 120-बी भादवि, 39 (1), 40 यू.ए.पी.ए., 8 (2) (3) छ.ग. विशेष जन सुरक्षा अधिनियम का अपराध दिनांक 09-09-2011 को दर्ज किया गया. प्रथम सूचना पत्र में बी. के. लाला, लिंगाराम कोड़ोपी, सोढ़ी सोनी, एस्सार कंपनी के अधिकारीगण तथा दरभा डिवीजन के नक्सली विनोद एवं रघु के नामों का उल्लेख है. प्रकरण में बी. के. लाला एवं लिंगाराम कोड़ोपी को दिनांक 10-09-2011 को श्री डी. वी. सी. एस. वर्मा, एस्सार कंपनी के किरंदुल प्लाण्ट के महाप्रबंधक को दिनांक 27-09-2011 को तथा सोढ़ी सोनी को 04-10-2011 को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई. प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है. (ख) उक्त मामले की अग्रिम विवेचना अ.अ.वि., पु.मु. के अंतर्गत जांच हेतु पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ के आदेश क्र.-डीजीपी/पुमु/पीएस/पी/4762-ए/2011 दिनांक 05-10-2011 द्वारा एस.आई.टी. का गठन किया गया. दिनांक 14-10-2011 को दन्तेवाड़ा पुलिस द्वारा केस डायरी एवं दस्तावेज एस.आई.टी. को अग्रिम विवेचना हेतु सौंपी गई है, प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पेंशन हितग्राहियों की संख्या

6. (*क्र. 260) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न पंचायतों में कुल कितने-कितने पेंशनधारी हैं ? ग्रामवार प्रत्येक का पृथक-पृथक बतावें ? (ख) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के कितने आवेदन लंबित हैं, विकासखंडवार बतावें ? (ग) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न पेंशन संबंधी आवेदनों को स्वीकृत कर हितग्राहियों को पेंशन सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी कृपया बतावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है. (ख) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में लंबित आवेदन निरंक है. (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

छुरा के पत्रकार हत्याकांड की जांच

7. (*क्र. 292) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छुरा के पत्रकार हत्याकांड दिनांक 18-02-2011 के संबंध में पुलिस ने कब एफ.आई.आर. दर्ज की और किन-किन लोगों से पूछताछ कब-कब की गई ? (ख) कंडिका “क” के प्रकरण में क्या संदेही की गिरफ्तारी की गई ? यदि हां, तो किनकी-किनकी और कब ? (ग) क्या यह सही है कि कंडिका “क” के प्रकरण में पुलिस ने विशेष जांच कमेटी बनाई है ? यदि हां, तो उनके द्वारा क्या जांच की गई और नहीं तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) छुरा के पत्रकार उमेश राजपूत की हत्या दिनांक 18-02-2011 को न होकर उक्त घटना दिनांक 23-01-2011 को घटित हुई है. उक्त प्रकरण में उसी दिन थाना छुरा में अप. क्र. 12/11 धारा 302 भादवि, 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया. उक्त प्रकरण में 77 विभिन्न संदेहियों से एवं गवाहों से पूछताछ की गई है/बयान दर्ज किये गये हैं. प्रकरण विवेचनाधीन है. (अतः विवेचना की गोपनीयता बनाये रखने हेतु संदेहियों/गवाहों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है.) (ख) जी, नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) प्रकरण की जांच हेतु पुलिस की विशेष जांच कमेटी का गठन पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद द्वारा किया गया है. तत्पश्चात् पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज द्वारा क्राईम ब्रांच दुर्ग की टीम को विवेचना में सहयोग हेतु लगाया गया है. उक्त विशेष जांच कमेटी द्वारा विवेचना की कार्यवाही प्रचलन में है. (अतः विवेचना की गोपनीयता बनाये रखने हेतु विवेचना के विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है.)

प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अर्जित पदक

8. (*क्र. 251) **श्री विरेन्द्र कुमार साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया है ? (ख) कौन-कौन से खिलाड़ियों ने किन-किन खेल प्रतियोगिता में पदक अर्जित किया है ? (ग) पदक अर्जित खिलाड़ियों को शासन द्वारा वर्तमान में क्या सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) 24 (चौबीस) खिलाड़ियों ने. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ग) पदक अर्जित उन खिलाड़ियों को जिन्होंने नियमों में उल्लेखित मान्यता प्राप्त खेलों एवं मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर शासकीय सेवा प्रदान किए जाने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है साथ ही ऐसे खिलाड़ियों को संबंधित नियमों के अंतर्गत पुरस्कृत भी किया जाता है.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत धान खरीदी केन्द्रों (सहकारी समिति) में शार्टेज

9. (*क्र. 277) **श्री परेश बागबाहारा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में धान खरीदी केन्द्रों (सहकारी समिति) में कितना-कितना शार्टेज आया ? समितिवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) धान खरीदी केन्द्रों में खराब बारदाना के कारण झड़त तथा समय पर उठाव नहीं होने के कारण अतिरिक्त सूखता के कारण समिति को हो रहे नुकसान की भरपाई किसके द्वारा की जावेगी ? (ग) उक्त कारणों से होने वाले शार्टेज की जवाबदारी किनकी है ? क्या इसकी राशि संबंधितों से वसूल की जायेगी ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) धान खरीदी केन्द्रों में खराब बारदानों का उपयोग नहीं किया गया है, अतः झड़त से धान का नुकसान नहीं हुआ. समय पर उठाव नहीं होने के कारण समितियों को हो रहे नुकसान की भरपाई का कोई प्रावधान नहीं है, समितियों द्वारा इसका वहन स्वयं किया जाता है. (ग) उक्त कारणों से हुए शार्टेज का वहन समितियों द्वारा किया जाता है, अतः समितियां समीक्षा करके शार्टेज की जवाबदारी एवं वसूली का निर्धारण स्वयं करेंगी.

सरगुजा जिला में विभिन्न घटनाओं के दर्ज प्रकरण

10. (*क्र. 247) **श्री अमरजीत भगत** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2010 से 20 नवम्बर, 2011 तक चोरी, डकैती, लुट, हत्या, बलात्कार, मारपीट पुलिस हिरासत में मौत एक्ट्रेसिटीएक्ट आगजनी, धोखाधड़ी, किडनैपिंग, लोहा चोरी, कबाड़ चोरी, गांजा तस्करी, ब्राउन सुगर तस्करी, लकड़ी, अवैध शराब बिक्री, लड़कियों को महानगरों में बेचने एवं जहर खुरानी तथा नक्सली घटना

की कुल कितनी घटना हुई ? (ख) प्रश्नांक “क” में घटित घटना में कितने प्रकरण पर न्यायालय में चालान पेश किया गया ? (ग) 01 जनवरी, 2010 से 20-11-11 तक सरगुजा पुलिस रेंज में प्लेसमेंट में ले जाकर लड़कियों को बेचने की कितनी घटना दर्ज की गई उसमें क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है. (ग) सरगुजा रेंज के जिला जशपुर में मात्र 02 प्रकरणों में प्लेसमेंट एजेंसी में ले जाकर कुल 03 लड़कियों को बिक्री करने की घटना दर्ज है, जिनमें 02 लड़कियों की बरामदगी हो चुकी है. 01 लड़की की बरामदगी शेष है. दोनों प्रकरणों में आरोपी प्लेसमेंट के संचालकों की गिरफ्तारी शेष है. फरार व्यक्तियों की पतासाजी की जा रही है. 01 प्रकरण में चालान पेश किया गया है तथा 01 प्रकरण विवेचना में लंबित हैं.

अंबिकापुर विधान सभा क्षेत्र में निर्मित बांधों हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

11. (*क्र. 207) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अंबिकापुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 20-11-2011 की स्थिति में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित कितने बांध क्रियाशील हैं ? इन निर्मित बांधों के जल क्षेत्र में कितने किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई ? अधिग्रहित की गई भूमि में से कितने किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है और कितने किसानों को कितनी भूमि का कितना मुआवजा दिया जाना शेष है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : अंबिकापुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 20-11-2011 की स्थिति में जल संसाधन विभाग (बरनई नहर संभाग) द्वारा निर्मित दो मध्यम बांध क्रियाशील है. इन निर्मित बांधों के जल क्षेत्र में अधिग्रहित मुआवजा वितरण व शेष मुआवजा वितरण की जानकारी निम्नानुसार है :—

स. क्र.	योजना का नाम	बांध के जल क्षेत्र में अधिग्रहित की गई भूमि के किसानों की संख्या	अधिग्रहित की गई भूमि में से मुआवजा भुगतान किसानों की संख्या	मुआवजा भुगतान हेतु शेष	अन्य विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	चुनघुट्टा (श्याम) मध्यम परियोजना.	1648	1411	237	91.062 हे.	468,06,000	रुपये
2.	बरनई मध्यम परियोजना	141	109	32	20.195 हे.	107,17,000	रुपये

जल संसाधन क्रमांक-1 अंबिकापुर के कार्य क्षेत्र में 40 निर्मित बांध क्रियाशील है. इन निर्मित बांधों के जल क्षेत्र में 1228 किसानों की कुल 510.612 हे. भूमि अधिग्रहित की जाकर रुपये 196-50 लाख का अवार्ड पारित किया जाकर 1217 किसानों को अधिग्रहित की गई भूमि में से 502-08 का मुआवजा कुल राशि 188.05 लाख वितरित किया जा चुका है. शेष 11 किसानों की 07.497 हे. भूमि का मुआवजा रुपये 8.459 लाख वितरित किया जाना शेष है.

रायगढ़ जिले में विभिन्न अपराधों के दर्ज प्रकरण

12. (*क्र. 134) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में थानावार एवं चौकीवार 01-04-2010 से 30-11-2011 तक चोरी, डकैती, लूट, चैन स्नेचिंग, बलात्कार, हत्या एवं दुर्घटना में मृत्यु के कितने-कितने प्रकरण कब-कब, दर्ज किये गये ? (ख) प्रश्नांश “क” के संदर्भ में कौन-कौन अपराधियों के विरुद्ध कब-कब चालान पेश किया गया ? किस-किस प्रकरण में अपराधी पकड़ के बाहर हैं ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) रायगढ़ जिले में दिनांक 01-04-2010 से 30-11-2011 तक चोरी के 596, डकैती के 13, लूट के 61, चैन स्नेचिंग के 05, बलात्कार के 100, हत्या के 145 तथा दुर्घटना में मृत्यु के 326, इस प्रकार कुल 1246 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में दी गई है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” एवं “स” में दी गई है.

प्रदेश में जमीन खरीदी/बिक्री हेतु निर्धारित नियमों

13. (*क्र. 273) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के जिलों में जमीन खरीदी/बिक्री के लिए क्रेता/विक्रेता को तहसीलदार/नायब तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होने की अनिवार्यता की गई है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? किन-किन जिलों में ? (ख) जमीन की खरीदी/बिक्री के लिये राजस्व अमले की ओर से कौन-कौन से फार्म को सत्यापित कर दिए जाने की अनिवार्यता किन नियमों के तहत की गई है ? (ग) क्या ये सही है कि कंडिका "क" और "ख" की नियमों में एकरूपता पूरे प्रदेश के जिलों में है, अगर नहीं, तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से कोई निर्देश जारी नहीं किए गये हैं. (ख) एवं (ग) उपरोक्तानुसार.

भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में धान खरीदी में अनियमितता की प्राप्त शिकायतें

14. (*क्र. 108) **श्री चैतराम साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र भाटापारा के अंतर्गत वर्ष 2009-2010 एवं 2010-11 में धान उपार्जन केन्द्र खैरा, पाटन, धनेली, बिरकुली तथा निपनिया, मोपका, करहीबाजार में धान की खरीदी में की गई अनियमितता की जांच के संबंध में विभाग को जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? (ख) यदि हां, तो दोषियों के ऊपर क्या कार्यवाही की गई ? दोषियों के नाम सहित जानकारी दें ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जी हां. (ख) जांच में अनियमितता नहीं पायी गयी, अतएव कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

प्रदेश में नकली दवाईयों के प्रकरण पर कार्यवाही

15. (*क्र. 74) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 कैलेण्डर वर्ष में 31 नवम्बर, 2011 तक प्रदेश में नकली दवाईयों के कितने प्रकरण प्रकाश में आये ? (ख) इनमें से कितने प्रकरणों पर सैंपल जब्त कर विभिन्न प्रयोगशालाओं में जांच हेतु भेजे गये ? कितने प्रकरणों में परीक्षण रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई ? (ग) दवाईयां नकली पाये जाने पर कितने प्रकरणों में कार्यवाही की गयी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में 03 प्रकरण प्रकाश में आये हैं. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में कुल 698 सैंपल संग्रह कर केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला कोलकाता, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल एवं छत्तीसगढ़ में जांच हेतु भेजे गये थे. भेजे गये नमूनों में से 326 नमूनों के परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनमें से 263 मानक स्तर एवं 63 अवमानक स्तर के पाये गये हैं. (ग) 03 प्रकरणों में कार्यवाही की गई, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.

जगदलपुर नगर क्षेत्रांतर्गत सम्मिलित ग्राम

16. (*क्र. 35) **श्री संतोष बाफना** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र में किन-किन ग्रामों को कब-कब जगदलपुर नगर के अंतर्गत शामिल किया गया ? (ख) क्या प्रश्नांक "क" में उल्लेखित ग्रामों की नजूल शीट तैयार कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) ग्राम सरगीपाल, कंगाली, धरमपुरा, अघनपुर, पखनागुड़ा, फ्रेजरपुर, हाटकचोरा, करकापाल, कोहकापाल, आसना, जगदलपुर नगर में दिनांक 04-09-2002 को शामिल किया गया है. (ख) जी नहीं. नजूल शाखा में कर्मचारियों की कमी के कारण नजूल शीट तैयार नहीं हो पायी है.

प्रदेश के कृषकों को हर्बल कृषि हेतु दिये गये ऋण के प्रकरण की ई.ओ.डब्ल्यू. से जांच

17. (*क्र. 195) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2005-06 में छ.ग. प्रदेश में अदरक, सफेद मुसली एवं मीठी तुलसी (स्टीविया) की हर्बल खेती के नाम पर हर्बल कंपनियों ने कृषकों के नाम पर कर्ज

निकालकर कृषकों को घटिया बीज देकर, कृषकों को कर्जदार बना दिया जिससे दुर्ग जिले के 41 कृषकों को दो करोड़ का कर्जदार बनना पड़ा है ? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्न “क” में पूछे गए प्रकरण की जांच ई.ओ.डब्ल्यू. से कराये जाने हेतु शासन से आदेश हुआ है ? यदि हां, तो इस प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई है ? (ग) क्या यह सत्य है कि प्रश्न “क” में पूछे गये दुर्ग जिले के कर्जदार कृषक भैरव ग्राम कन्हारपुरी ने आत्महत्या की है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में दुर्ग जिले के 32 किसानों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने पर दुर्ग जिले के विभिन्न थानों में 32 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। उक्त सभी कृषकों के नाम से लगभग 1,90,06,850.00 (एक करोड़ नब्बे लाख छै हजार आठ सौ पचास रुपये) रुपये राशि की धोखा-धड़ी की गई है। (ख) जी नहीं। (ग) कृषक भैरव सिंह पिता श्री माधव सिंह पटेल ग्राम-कन्हारपुरी, थाना-धमधा के आत्महत्या किये जाने की कोई सूचना पुलिस थाना धमधा में कायम नहीं है।

कसडोल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्मार्ट कार्ड निर्माण की स्थिति

18. (*क्र. 293) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 विकासखण्ड पलारी, लवन, आर.आई. सर्किल के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में आश्रित ग्राम सहित कितने बी.पी.एल. कार्डधारक हैं जिनके स्मार्ट कार्ड बन गये और कितनों के नहीं बने ? प्रत्येक गांव की अलग-अलग जानकारी देवें ? (ख) वर्ष 2011-12 में स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए कौन सी एजेंसी है ? उसके द्वारा कब से कब तक स्मार्ट कार्ड बनाये गये ? क्या उपरोक्त तीनों विकासखण्डों में स्मार्ट कार्ड बनाने का कार्य पूरा हो गया ? यदि बाकी है तो किस-किस गांव के कितने-कितने बी.पी.एल. लोगों का स्मार्ट कार्ड नहीं बना है ? कारण सहित जानकारी देवें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) कुल 17,420 बी.पी.एल. परिवार हैं। कुल 9,982 परिवारों के स्मार्ट कार्ड बन गये हैं और शेष 7,438 परिवारों के स्मार्ट कार्ड नहीं बने हैं। जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार। (ख) ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड. दिनांक 07-11-2011 से स्मार्ट कार्ड बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। जी नहीं। शेष स्मार्ट कार्ड बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार।

विधान सभा क्षेत्र मस्तूरी अंतर्गत इंदिरा हरेली सहेली योजना के तहत वृक्षारोपण

19. (*क्र. 265) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र मस्तूरी अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग द्वारा वर्ष 2001 में इंदिरा हरेली सहेली योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु कितने व्यक्तियों को कितनी भूमि पट्टे पर दी गयी। (ख) प्रदत्त भूमि (ग्रामवार) में कितने रकबे पर वृक्षारोपण किया गया ? (ग) वर्तमान में उक्त प्रदत्त भूमि पर कितने वृक्ष रोपित हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) विधान सभा क्षेत्र मस्तूरी के अंतर्गत वर्ष 2001 इंदिरा सहेली योजना के तहत कुल 615 व्यक्तियों को कुल 576.075 हेक्टेयर भाठा भूमि पट्टे पर वितरित की गई है। (ख) वितरित की गई भूमि का ग्रामवार रकबा एवं रोपित वृक्षारोपण की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में है। (ग) वर्तमान में प्रदत्त भूमि पर वृक्ष रोपित नहीं है।

कोरबा जिले में सर्पदंश एवं गाज गिरने से मृत व्यक्तियों के परिवार को प्रदत्त क्षतिपूर्ति

20. (*क्र. 89) **श्री रामदयाल उईके** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले के अंतर्गत वि.ख. पोड़ी उपरोड़ा एवं वि.ख. पाली के वर्ष 2009 से 2010-11 एवं 2011-12 में किन-किन व्यक्तियों की मृत्यु सर्प काटने से एवं गाज गिरने से हुई है ? क्या उनके उत्तराधिकारियों को शासन द्वारा दी जाने वाली क्षतिपूर्ति सहायता राशि दी गई है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी, किन-किन व्यक्तियों को भुगतान की गई है ? (ख) क्या जुलाई 2010 में चन्द्रौटी ग्राम के किसी व्यक्ति की मृत्यु सर्प काटने से हुई थी ? यदि हां, तो क्या उनके परिवार को मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आदिवासी बाहुल्य जिलों में मानव तस्करी के दर्ज प्रकरण

21. (*क्र. 239) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-09 से 24 नवम्बर, 2011 तक प्रदेश के जशपुर, सरगुजा एवं रायगढ़ जिलों में लापता लड़कियों की मानव तस्करी संबंधी कुल कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं ? दर्ज प्रकरणों की जिलेवार जानकारी देवें. (ख) प्रश्नांक "क" के तहत दर्ज प्रकरणों में कुल कितने लड़कियों की पतासाजी की गई है ? कितनी लड़कियों का आज पर्यंत पता नहीं चल पाया ? (ग) क्या मानव तस्करी की शिकार आदिवासी बालाओं की मौत की घटनाएं भी हुई हैं ? यदि हां, तो कितने बालाओं की मौतें हुई हैं ? (घ) वर्ष 2008-09 से प्रश्नांकित अवधि तक दर्ज प्रकरणों में कितने लोगों पर कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में कुल 43 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. जिलेवार-वर्षवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है. (ख) कुल 102 लापता लड़कियों में से पतासाजी की जाकर 96 लड़कियों को बरामद किया गया है एवं 06 लड़कियों का आज पर्यंत पता नहीं चल पाया है. (ग) प्रश्नाधीन अवधि में जानकारी निरंक है. (घ) 34 प्रकरणों में 74 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया है एवं 01 प्रकरण में 12 आरोपियों के विरुद्ध धारा 299 दंप्रसं. के अंतर्गत कार्यवाही कर फरारी में चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया है. वर्तमान में कुल 08 प्रकरण पुलिस विवेचना में लंबित है.

महासमुंद जिले में अस्पताल भवन की स्वीकृति

22. (*क्र. 173) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिला अंतर्गत सरायपाली में 60 बिस्तर का अस्पताल भवन कब स्वीकृत किया गया था ? स्वीकृति राशि सहित बतावें ? उक्त अस्पताल भवन की बाउण्ड्रीवाल कब तक बनाई जावेगी ? (ख) 31 अक्टूबर, 2011 की स्थिति में सरायपाली विकासखंड अंतर्गत सभी अस्पतालों में डॉक्टर एवं स्टाफ के स्वीकृत पद कितने हैं तथा रिक्त पद कितने हैं ? अलग-अलग बतावें. (ग) सरायपाली में शहरी डिस्पेन्सरी कब प्रारंभ की गई ? उक्त डिस्पेन्सरी हेतु कितने डाक्टर एवं स्टाफ की व्यवस्था की गई बतावें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) महासमुंद जिला अंतर्गत सरायपाली में 60 बिस्तर अस्पताल भवन की स्वीकृति नहीं दी गई है. निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ख) †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ग) 01 सितम्बर 2011 से. एक-एक चिकित्सा अधिकारी, ए.एन.एम., ड्रेसर एवं भृत्य की व्यवस्था की गई है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों का स्वीकृत सेटअप

23. (*क्र. 18) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां 100 बिस्तर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं ? (ख) इनमें सेट अप के आधार पर पद स्वीकृत है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो पदों की स्वीकृति कब तक की जावेगी ? (ग) बेमेतरा को जिला बनाने की घोषणा होने के कारण क्या बेमेतरा के अस्पताल को जिला अस्पताल के रूप में उन्नयन किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक किया जाएगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 100 बिस्तर अस्पताल बेमेतरा में, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेरला में एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-कुसमी, जेवरा, देवरबीजा, सरदा, आनंदगांव, गुधेली, दारगांव में संचालित है. (ख) जी नहीं. 100 बिस्तर अस्पताल बेमेतरा में सेटअप के अनुसार स्टाफ नर्स के 18 पद सृजित नहीं हो पाये हैं जिसकी स्वीकृति विचाराधीन है. (ग) जी नहीं. निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

नक्सली हमलों एवं मुठभेड़ के शहीदों के परिजनों को प्रदत्त सहायता राशि

24. (*क्र. 300) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में जनवरी 2010 से 23-11-2011 तक कितने नक्सली हमले, मुठभेड़ की घटनायें हुई ? दिनांक, स्थान, सहित बतायें. (ख) घटनाओं में छ.ग. पुलिस, सी.आर.पी.एफ. के कितने जवान, अधिकारी शहीद हुए, कितने ग्रामीण मारे गये, कितनी-कितनी सहायता राशि प्रदान की गई ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की प्राप्त शिकायतें

25. (*क्र. 223) **श्री भोलाराम साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011-12 में दिनांक 25-11-11 तक खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता बरतने संबंधी कितनी शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं और उक्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? शिकायतकर्ता के नाम, पता, शिकायत का विषय, जांच अधिकारी एवं की गई कार्यवाही सहित जानकारी प्रदान करें ? (ख) वर्तमान में कौन-कौन सी शिकायतें निराकरण हेतु लंबित हैं और किन-किन निराकृत प्रकरणों में शिकायतकर्ता को कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उर्सेडी) : (क) वर्ष 2011-12 में दिनांक 25-11-11 तक खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में 46 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी, शिकायतकर्ता के नाम, पता, शिकायत का विवरण एवं जांच अधिकारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

1. (क्र. 19) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में कितने भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं ? (ख) इन स्थानों में आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति कब तक की जावेगी ? (ग) क्या सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी सहायकों की नियुक्ति की जा चुकी है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 50 भवनविहीन (आंगनबाड़ी केन्द्र जिनके लिए भवन स्वीकृत नहीं है) आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है. केन्द्रवार जानकारी परिशिष्ट पर संलग्न है. (ख) भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) जी नहीं. बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 343 आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति हो चुकी है, 54 सहायिकाओं की नियुक्ति शेष है.

जिला बस्तर में गैर आदिवासियों की कृषि भूमि को गैर आदिवासी के विक्रय/रजिस्ट्री संबंधी

2. (क्र. 36) **श्री संतोष बाफना** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में वर्ष 2009-2010, 2010-2011 एवं 2011-12 के माह नवम्बर तक गैर आदिवासी की कृषि भूमि गैर आदिवासी को विक्रय किये जाने संबंधी कितनी रजिस्ट्री हुई ? इन रजिस्ट्री से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ ? वर्षवार बताएं. (ख) प्रश्नांक (क) में उल्लेखित भूमि के रजिस्ट्री के उपरान्त इस भूमि को कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन बाबत डायवर्सन संबंधी क्या नियम हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) बस्तर जिले में वर्ष 2009-10 में 1014, वर्ष 2010 में 1174 एवं वर्ष 2011-12 के माह नवंबर 2011 तक 629 रजिस्ट्री हुई है. जिससे शासन को वर्ष 2009-10 में 1,48,30,097 रुपये, वर्ष 2010-11 में 1,84,10,947 रुपये एवं वर्ष 2011-12 में माह नवंबर 2011 तक 1,10,73,708 रुपये की राजस्व प्राप्त हुई है. (ख) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 172 एवं सह पठित धारा 59 के तहत नगरीय क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र की बाहरी सीमाओं से पांच मील की त्रिज्या के भीतर, या किसी ऐसे ग्राम में, जिनकी जनसंख्या गत जनगणना के अनुसार दो हजार या उससे अधिक हो, या ऐसे अन्य क्षेत्रों, जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचित करें. किसी प्रयोजन के लिये धारित भूमि का भू-स्वामी अपने खाते या उसके किसी भाग को कृषि के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये डायवर्सन की अनुज्ञा के लिये उपखंड अधिकारी (राजस्व) को आवेदन कर सकेगा, किन्तु छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6-ड. ड.) का लोप किया गया था, उसे माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के स्थगन आदेशानुसार पुनः स्थापित किया गया है. जिसके तहत गैर आदिवासी भूमि स्वामी द्वारा अन्तरित की गई कृषि भूमि ऐसे अन्तरण की तारीख से दस (10) वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पूर्व किसी अन्य प्रयोजन के लिए डायवर्सन (व्यवर्तित) नहीं की जायेगी.

राजस्व प्रकरण क्र. 7 अ/75-76 के तहत हितग्राहियों को आवंटित भूमि के अधिग्रहण पर भू-स्वामियों को मुआवजा संबंधी

3. (क्र. 75) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजस्व प्रकरण क्र. 7 अ/75-76 के तहत शासन द्वारा ग्राम तेंदूभांठा, विकासखंड नवागढ़ तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा के खसरा क्रमांक 367/1/368,370/1,386/1 में से कितने भूमिहीन हितग्राही को 0.5 हेक्टेयर जमीन 10 वर्षीय अस्थायी शासकीय पट्टा के रूप में कृषि कार्य हेतु दिया गया था ? (ख) प्रश्नांक (क) के संबंध में, पट्टेधारियों के नाम बतावें तथा क्या ऐसे पट्टेधारियों को भूमि स्वामी हक प्रदान किये जाने का भी प्रावधान है ? यदि हां, तो कितने पट्टेधारियों को भूमि स्वामी हक प्रदाय किया गया है ? (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नांक (क) के उत्तर में उल्लेखित तेन्दूभांठा के पट्टेधारियों की भी भूमि मड़वा ताप विद्युत परियोजना हेतु अधिग्रहित किया गया है ? यदि हां, तो क्या अधिग्रहित की गई भूमि के पट्टेधारियों एवं भूमि स्वामियों को मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब एवं किस दर से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जी हां. 24 हितग्राहियों को पट्टा प्रदान किया गया था. (ख) पट्टेधारियों के नाम निम्नानुसार है :- 1. समारू/मुनीराम, 2. कुरू/ननकी, 3. जनक/रामप्यारे, 4. सहदेवा/झाड़ूराम, 5. फिरतू/बुड़गा, 6. चैतु/मकुन्दी, 7. शिवभगत/रामलाल, 8. खीकराम/हीरासाय, 9. रामेश्वर/गोविंद दास, 10. कन्हैया/पिरीतराम, 11. दुख्वा/सहसराम, 12. सोरिक/साधुदास, 13. सरजू/रूनूराम, 14. जानकी बाई/साधाउ, 15. फिरतु/कुसवाराम, 16. आनंदराम/बिसनाथ, 17. हिन्डेराम/सन्तू, 18. दाउराम/सोरिकराम, 19. मंगता/शिवनाथ, 20. दाउराम/बिरभींग, 21. बैशाखू/पीलन, 22. हरप्रसाद/मुनीराम, 23. परम/बोधराम, 24. सुखंडी/महेत्तर. भूमि स्वामी हक प्रदान करने के प्रावधान हैं, परन्तु पट्टे के शर्त पूरा न करने से किसी को भी भूमि स्वामी हक प्रदान नहीं की गयी. (ग) जी नहीं. मड़वा ताप विद्युत संयंत्र हेतु भूमि की मांग के समय भूमि अभिलेखों में शासकीय दर्ज थी. अतः भूमि का बंटन किया गया.

विकासखण्ड पोड़ी उपरोड़ा एवं पाली में अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों को प्रदत्त मुआवजा

4. (क्र. 90) **श्री रामदयाल उईके** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले के अंतर्गत वि. ख. पोड़ी उपरोड़ा एवं पाली वि. ख. के अतिवृष्टि से प्रभावित कितने कृषकों की कितनी-कितनी मुआवजा राशि दी गई है ? (ख) क्या कुम्हरिया ग्राम के कृषकों की धान की फसल बांगों बांध में डूबान से प्रभावित हुई है ? यदि हां, तो उनको अभी तक क्षतिपूर्ति क्यों नहीं दी गयी है ? (ग) क्या पटवारी द्वारा उक्त कृषकों के खेतों का मुआयना किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) कोरबा जिले के विकासखण्ड पोड़ी उपरोड़ा एवं पाली में अतिवृष्टि से फसल क्षति नहीं हुई है ऐसी स्थिति में मुआवजा राशि देने का प्रश्न ही नहीं है. (ख) जी हां. फसल क्षति 25 प्रतिशत से कम होने के कारण नियमानुसार अनुदान सहायता नहीं दी गई है. (ग) जी हां.

जिला रायगढ़ के ग्राम पंचायतों में पेंशन का वितरण

5. (क्र. 135) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के रायगढ़, पुसौर एवं बरमकेला विकासखंड में ग्राम पंचायतवार पेंशन वितरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी उम्र, राशि के मापदंड क्या-क्या हैं एवं इसे कब से लागू किया गया ? (ख) इस योजना में उपरोक्त तीनों विकासखंड के ग्राम पंचायतों में पंचायतवार कितने-कितने लोगों को लाभ दिया गया ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) पेंशन वितरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी उम्र, राशि का मापदण्ड निम्नानुसार है :-

क्रमांक (1)	योजना (2)	उम्र एवं राशि (3)
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना.	उम्र-गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक को राशि 1. 60 से 79 आयुवर्ग हेतु - अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रु. 200/- राज्यंश रु. 100/- कुल रु. 300/- प्रतिमाह. 2. 80 वर्ष या उससे अधिक आयुवर्ग हेतु - अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रु. 500/- राज्यंश रु. 100/- कुल रु. 600/- प्रतिमाह.
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना.	उम्र-गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 59 वर्ष राशि- रु. 200/- प्रतिमाह.
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना.	उम्र-गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 59 वर्ष राशि -रु. 200/- प्रतिमाह.

दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से लागू किया गया. (ख) जानकारी परिशिष्ट पर संलग्न है.

जिला महासमुंद में रेडी टु इट एवं टेक होम योजना अन्तर्गत पोषण आहार की पूर्ति एवं परीक्षण

6. (क्र. 174) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में वर्तमान में रेडी टु इट एवं टेक होम योजना अन्तर्गत पोषण आहार की पूर्ति किनके-किनके द्वारा की जा रही है ? विकासखण्डवार बतायें ? (ख) उक्त योजना में पोषण आहार

निर्माण व पूर्ति का ठेका किनके द्वारा दिया जाता है ? ठेका का मापदण्ड क्या है ? (ग) रेडी टु इट एवं टेक होम योजना में पोषण आहार के गुणवत्ता का परीक्षण किनके द्वारा किया जाता है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेडी) : (क) महासमुंद जिले में टेक होम राशन पद्धति अनुसार रेडी टू इट फूड का प्रदाय महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है. विकासखंडवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) रेडी टू इट फूड प्रदाय का ठेका नहीं दिया जाता है. महिला स्व सहायता समूहों से रेडी टू इट फूड निर्माण एवं प्रदाय हेतु प्रस्ताव आमंत्रित कर जिला स्तर पर गठित समिति के माध्यम से महिला स्व सहायता समूह के चयन की कार्यवाही की जाती है. (ग) रेडी टू इट फूड के नमूनों का परीक्षण भारत सरकार, खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड की मुंबई स्थित प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है.

जिला दुर्ग, बिलासपुर एवं कबीरधाम में नेत्र शिविर में किये गये ऑपरेशन की जांच

7. (क्र. 196) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह जनवरी, 2011 से लेकर माह अक्टूबर 2011 तक जिला दुर्ग, जिला बिलासपुर, जिला कबीरधाम में कहां-कहां, कब-कब नेत्र शिविर का आयोजन कर नेत्र का ऑपरेशन किया गया है ? स्थान, तिथि एवं ऑपरेशन की संख्या बतायें ? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्न “क ” पूछे गए ऑपरेशन में की गई लापरवाही से 100 से ज्यादा लोगों की नेत्र ज्योति समाप्त हो गई एवं तीन लोगों की मौत हो गई है ? (ग) प्रश्न “ख” में पूछे गए प्रकरण में क्या विभाग द्वारा कोई जांच कराई जा रही है यदि हां, तो उसके क्या तथ्य प्राप्त हुए हैं एवं किस-किस अधिकारी पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) बिलासपुर जिले में शिविर आयोजन निरंक, दुर्ग एवं कबीरधाम की जानकारी † † संलग्न प्रपत्र “अ ” अनुसार. (ख) जी नहीं. (ग) जी हां. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बालौद में दिनांक 29-09-2011 को किये गये 93 आपरेशन वाली आंख में से 44 रोगियों की आंख में संक्रमण होना पाया गया. प्रारंभिक जांच के आधार पर आपरेशन के पूर्व आपरेशन कक्ष की तैयारी करने, आपरेशन पूर्व रोगी की जांच करने तथा समुचित पर्यवेक्षण करने में लापरवाही परिलक्षित होने के फलस्वरूप † † संलग्न प्रपत्र “ब ” में वर्णित अधिकारी/कर्मचारी को दोषी पाये जाने के कारण निलंबित किया गया है.

प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु व्यय राशि

8. (क्र. 197) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में माह जुलाई, 2011 से माह सितम्बर, 2011 के मध्य आई बाढ़ से कितने एकड़ की फसल बर्बाद हुई, कितने मकान गिरे, कितने पशुधन की मृत्यु हुई, कितने मनुष्य मर गये, जिलेवार आंकड़े दें ? (ख) क्या विभाग द्वारा प्रश्न “क ” में पूछे गए बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां तो कितनी राशि का नुकसान हुआ है ? (ग) क्या प्रश्न “क ” एवं “ख ” में बाढ़ से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति विभाग द्वारा दी गई है ? यदि हां तो 25 नवम्बर, 2011 तक कितनी राशि खर्च की गई है, जिलेवार विवरण दें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) प्रदेश में माह जुलाई 2011 से माह सितम्बर 2011 के मध्य आई बाढ़ से हुई क्षति की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) जी हां. कुल 1843.27 लाख का नुकसान हुआ है. (ग) जी हां. † संलग्न परिशिष्ट में है.

नवंबर, 2010 में अम्बिकापुर से अपहरण कर हत्या के प्रकरण में गिरफ्तारी

9. (क्र. 208) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवंबर, 2010 में अम्बिकापुर के एक छात्र की अपहरण करके हत्या करने के संबंध में कुल कितने लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया ? (ख) इस हत्या काण्ड में नामजद अभियुक्तों में से 20-11-2011 की स्थिति में कुल कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार करना शेष है ? गिरफ्तार अभियुक्तों में से कितनों की जमानत हो गई है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) नवंबर 2010 में छात्र ऋतिक उर्फ ऋषि पिता रत्नाकर टिक्कस निवासी अम्बिकापुर की आहरण कर हत्या के अपराध में कुल 09 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया. (ख) इस घटना में नामजद 09 अभियुक्तों में से दिनांक 20-11-2011 की स्थिति में कुल 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करना शेष है. गिरफ्तार 08 अभियुक्तों में से 01 अभियुक्त की जमानत माननीय न्यायालय से हो गई है.

नेत्र शिविरों में मोतियाबिन्द का आपरेशन

10. (क्र. 219) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदागांव, दुर्ग एवं कबीरधाम जिले में वर्ष 2011 में हुए स्वास्थ्य नेत्र शिविरों में कब-कब मोतियाबिन्द के आपरेशन में कहां-कहां के किन-किन की आंखें पूर्ण रूप से खराब हुईं तथा आपरेशन के बाद किनकी-किनकी आंखें में आंशिक रूप से क्या-क्या क्षति हुई ? आपरेशन किनके-किनके द्वारा किया गया तथा किन-किन दवाईयों का उपयोग हुआ ? (ख) उक्त में से कहां-कहां के किनकी-किनकी मृत्यु हो चुकी है तथा राज्य शासन की ओर से किन-किन प्रभावितों को कुल कितनी-कितनी आर्थिक सहायता कब-कब प्रदान की गई है ? (ग) क्या उक्त घटनाओं की जांच हुई है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम आये ? कौन-कौन दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जिला दुर्ग में 44 व राजनांदागांव में 01 व्यक्ति की आंखें में क्षति हुई है. विवरण † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार. जिला कबीरधाम में किसी व्यक्ति की आंखें में क्षति नहीं हुई है. उपयोग की गई दवाईयां † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार. (ख) नेत्र में संक्रमण के कारण किसी की मृत्यु होना नहीं पाया गया. प्रश्नांक (क) के † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शाये प्रभावित में से 44 मरीजों को राज्य शासन की ओर से दिनांक 21-10-2011 को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है. दुर्ग जिले के श्री बहुरसिंग पिता श्री सीताराम उम्र-85 वर्ष ग्राम-पारागांव वि. ख. बालौद की वृद्धावस्था में स्वभाविक मृत्यु होना पाया गया. (ग) जी हां. प्रारंभिक जांच के आधार पर आपरेशन के पूर्व आपरेशन कक्ष की तैयारी करने, आपरेशन पूर्व रोगी की जांच करने तथा समुचित पर्यवेक्षण करने में लापरवाही परिलक्षित होने के फलस्वरूप † संलग्न प्रपत्र “स” में वर्णित अधिकारी/कर्मचारी को दोषी पाये जाने के कारण निलंबित किया गया है.

प्रदेश में आयोजित निःशुल्क नेत्र शिविरों में लाभार्थियों की संख्या

11. (क्र. 238) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2011 से 24 नवम्बर, 2011 तक प्रदेश के विभिन्न जिलांतर्गत कुल कितने नेत्र शिविर आयोजित किये गये ? जिलेवार आयोजित शिविरों की जानकारी स्थल व लाभार्थी संख्या की जानकारी देवें. (ख) माह सितम्बर 2011 से अक्टूबर 2011 में आयोजित निःशुल्क नेत्र शिविर में किन-किन शिविरों में कितने-कितने लोगों की आंखों की रोशनी चले जाने की शिकायत एवं इसकी पुष्टि हुई है ? स्थलवार जानकारी देवें. (ग) प्रश्नांक “ख” के तहत नेत्र शिविरों में आपरेशन करने वालों की आंखों की रोशनी चले जाने के लिये किसे दोषी माना गया है एवं दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 482 शिविर. पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” अनुसार. (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” अनुसार. (ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “स” अनुसार निलंबित किया जा चुका है.

विकासखण्ड गुण्डरदेही व डौंडीलोहारा के राजस्व पटवारी हल्का में पटवारियों की पदस्थापना

12. (क्र. 252) **श्री विरेन्द्र कुमार साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड गुण्डरदेही व डौंडीलोहारा में कितने पटवारी हल्का हैं ? (ख) किन-किन पटवारी हल्कों में पटवारी पदस्थ नहीं हैं ? (ग) रिक्त हल्कों में कब तक पटवारी की पदस्थापना कर दी जायेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) गुण्डरदेही में 55 एवं डौंडीलोहारा में 54 पटवारी हल्का हैं. (ख) 1. तहसील गुण्डरदेही के पटवारी हल्का नंबर 10 ओटेबन्द, 11 सिरसीदा, 22 कोटगांव, 27 कुर्दी, 33 रेंगाकठेरा, 35 खर्रा, 53 चिचबोड़, 47 पेण्डूरी, 49 बिरेतरा, 54 सियनमरा, 20 रौना, तथा 2. तहसील डौंडीलोहारा के पटवारी हल्का नंबर 5 टटेंगा, 11 मार्री, 12 खेरथा, 14 संजारी, 17 गारका, 18 भीमकन्हार, 20 भण्डेरा, 23 रानीतराई, 28 कसहीटोला, 35 कोचेरा, 36 संबलपुर, 39 अण्डी, 45 भीमाटोला, 47 करेगांव, 53 किल्लेकोडा, में पटवारी पदस्थ नहीं हैं. (ग) पदस्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. निश्चित समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित थानों एवं चौकियों में दर्ज शिकायतें

13. (क्र. 259) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित थानों एवं चौकियों में 01 जनवरी, 2009 से 30 अक्टूबर, 2011 तक कुल कितनी शिकायतें दर्ज की गयी ? थाना एवं चौकीवार वर्षवार एवं माहवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त शिकायतों की अद्यतन स्थिति क्या है ? (ग) ऐसी कितनी शिकायतें हैं जिनके अपराधी पकड़ से बाहर हैं ? अपराध के दिनांक एवं थाना क्षेत्र के नाम सहित बतावें ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत संचालित थानों एवं चौकियों में कुल 1709 शिकायतें दर्ज की गई है. थानावार, चौकीवार एवं वर्षवार तथा माहवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “क” में दी गई है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ख” में दी गई है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ग” में दी गई है.

आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार के निर्माण हेतु एन. जी. ओ. का चयन एवं उसके गुणवत्ता की जांच

14. (क्र. 274) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम संचालित हैं, इनमें किन-किन कार्यक्रमों में एन. जी. ओ. को शामिल किया गया है, एन. जी. ओ. के नाम सहित ब्यौरा दें? (ख) कंडिका “क” के अन्तर्गत “रेडी टू ईट फूड” पोषण आहार का निर्माण किनके द्वारा किया जा रहा है? क्या यह कार्य एन. जी. ओ. को भी दिया गया है? यदि हां तो एन. जी. ओ. के चयन का आधार क्या है? (ग) क्या कंडिका “ख” के पोषण आहार की गुणवत्ता की जांच कराने का प्रावधान है? यदि हां तो क्या इसका पालन किया जा रहा है? नहीं तो क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को नाश्ता एवं गर्म पका हुआ भोजन तथा 6 माह से 3 वर्ष आयु के बच्चों एवं गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को टेक होम राशन अंतर्गत रेडी टू ईट फूड का प्रदाय किया जाता है. प्रदेश में नाश्ता एवं गर्म पका हुआ भोजन महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के माध्यम से तथा रेडी टू ईट फूड का प्रदाय महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है. प्रदेश के नारायणपुर जिले की बाल विकास परियोजना ओरछा में पूरक पोषण आहार प्रदाय का कार्य स्वयं सेवी संस्था विश्वास नारायणपुर द्वारा किया जा रहा है. (ख) प्रश्नांश “क” के अंतर्गत रेडी टू ईट फूड का प्रदाय महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है. प्रदेश के नारायणपुर जिले की बाल विकास परियोजना ओरछा में पूरक पोषण आहार प्रदाय का कार्य स्वयं सेवी संस्था विश्वास नारायणपुर द्वारा किया जा रहा है. बाल विकास परियोजना ओरछा में रेडी टू ईट फूड निर्माण एवं प्रदाय हेतु महिला स्व सहायता समूह कार्य करने हेतु इच्छुक न होने एवं इस क्षेत्र की विशेष परिस्थिति के कारण जिला कलेक्टर के प्रस्ताव पर ओरछा में इस कार्य हेतु स्वयं सेवी संस्था विश्वास नारायणपुर का चयन किया गया है. (ग) जी हां. पालन किया जा रहा है.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में वृद्धा, विधवा, परित्यक्ता एवं विकलांगता के पेंशन हेतु पात्र लोगों की जानकारी

15. (क्र. 278) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने वृद्धा, विधवा, परित्यक्ता एवं विकलांग निवासरत हैं? पंचायतवार जानकारी प्रदान करें. (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार इनमें से कितने लोगों को पेंशन की पात्रता श्रेणी में लिया गया है? पंचायतवार जानकारी प्रदान करें.

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के मजदूरों को अन्य राज्य में बंधक बनाये जाने की प्राप्त शिकायतें

1. (क. 24) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2010 से 30 नवम्बर, 2011 तक छत्तीसगढ़ के मजदूरों को अन्य प्रान्तों में बंधक बनाकर रखे जाने की कितनी सूचनायें कब-कब शासन को या पुलिस को प्राप्त हुई ? (ख) प्राप्त सूचना में से कितने में पुलिस द्वारा कार्यवाही कर मजदूरों को मुक्त कराया, शेष के लिये क्या-क्या प्रयास किये गये ? (ग) मुक्त हुए मजदूरों को शासन द्वारा क्या-क्या सुविधायें प्रदान की गई ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

कैदियों के पुनर्वास हेतु संचालित योजनाएं तथा उनकी पारिश्रमिक दर

2. (क. 45) **श्री संतोष बाफना** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य की जेलों में विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षित कैदियों की संख्या जेल-वार बतावें. (ख) कैदियों के पुनर्वास की क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं ? विगत दो वर्षों में इन योजनाओं के तहत लाभान्वित कैदियों की संख्या जेलवार बतायें. (ग) वर्तमान में कैदियों की पारिश्रमिक दर कितनी है ? क्या पारिश्रमिक दर पुनरीक्षित किये जाने की योजना है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य की जेलों में विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षित कैदियों की संख्या 164 है. जेल-वार विवरण निम्नानुसार है :-

क.	जेल का नाम	विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षित बंदियों की संख्या
1.	केन्द्रीय जेल रायपुर	113
2.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	निरंक
3.	केन्द्रीय जेल जगदलपुर	35
4.	केन्द्रीय जेल अंबिकापुर	निरंक
5.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	16
योग		164

(ख) कैदियों के पुनर्वास हेतु विशिष्ट रूप से कोई योजना नहीं है किन्तु जेलों में संचालित विभिन्न उद्योगों में बंदियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि इसका उपयोग वे जेल से रिहाई पश्चात् अपना जीवनयापन, स्वरोजगार एवं पुनर्वास के लिए कर सकें. (ग) वर्तमान दर कुशल बंदी को रुपये 15/- एवं अकुशल बंदी को रुपये 12/- है. जी हाँ.

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त एवं व्यय राशि

3. (क. 82) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एन. आर. एच. एम. के तहत केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई ? मदवार जानकारी दी जाये. (ख) उक्त राशि में से कितनी राशि किस-किस कार्यक्रम/योजना में व्यय की गई ? (ग) वर्ष 2011-2012 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एन. आर. एच. एम. के तहत केन्द्र सरकार से कितनी राशि की मांग की गई तथा कितनी राशि राज्य सरकार को अब तक प्राप्त हुई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 31159.55 लाख राशि प्राप्त हुई. † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नं. 3 अनुसार. (ख) † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नं. 4 अनुसार. (ग) वर्ष 2011-12 में 39337 लाख रुपये की मांग की गई, जिसमें से अभी तक 17653.43 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है.

पैरा मेडिकल टेक्नीशियन कोर्स के प्रशिक्षितों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में

4. (क. 83) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितनी प्रशिक्षण संस्थाओं में कौन-कौन से विषय में एक वर्षीय पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स कब से संचालित है ? जिलेवार जानकारी दें. (ख) पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों की संख्या कितनी है तथा उनमें से कितनों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) प्रदेश के 07 प्रशिक्षण संस्थाओं में एक वर्षीय पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स वर्ष 2004 से संचालित हैं. विस्तृत विवरण †† संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) 4132.99 को रोजगार उपलब्ध कराया गया.

प्रदेश में सोयाबीन की फसल की क्षति की प्राप्त सूचनाओं पर कार्यवाही

5. (क. 85) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इस खरीफ वर्ष में प्रदेश में सोयाबीन की फसल कितने हेक्टेयर में ली गई है ? जिलेवार जानकारी दें. (ख) क्या अतिवृष्टि या अल्पवृष्टि से सोयाबीन फसल को नुकसान होने की सूचना जिला कलेक्टरों से तथा जनप्रतिनिधियों से शासन को प्राप्त हुई है ? (ग) यदि हां, तो कब-कब कहां-कहां से सूचना प्राप्त हुई तथा उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

रायगढ़ जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर कार्यवाही

6. (क. 148) **डॉ. शकाजीत नायक** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में अवैध गांजा, शराब एवं अन्य मादक पदार्थ दिनांक 01-04-2011 से 30-11-2011 के मध्य कब-कब, कहां-कहां, कितनी-कितनी मात्रा में पकड़े गये एवं उनके विरुद्ध कब-कब, क्या-क्या, कार्यवाही की गयी ? (ख) रायगढ़ जिले की सीमा में उड़ीसा राज्य से भारी मात्रा में शराब एवं गांजा के आवक को रोकने के लिए जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन एवं आबकारी विभाग, क्या संयुक्त टास्क फोर्स बनाकर कार्यवाही कर रोक लगाने के लिए प्रयास कर रही है ? अगर हां, तो दिनांक 01-04-2011 से 30-11-2011 तक कब-कब संयुक्त टास्क फोर्स ने दौरा किया और क्या-क्या अवैध मादक पदार्थों को पकड़कर कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नांश "क" की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" में है. (ख) टास्क फोर्स का गठन नहीं किया गया है, परन्तु पुलिस अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही उनके स्तर पर कर रहे हैं. ?

रायगढ़ जिले में नवीन आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति

7. (क. 149) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखण्ड में किन-किन ग्रामों या पारा टोला या मोहल्लों में किये गये सर्वे में किस-किस मापदण्ड पर आंगनबाड़ी केन्द्र या मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की मांग विभाग ने शासन से किस-किस तिथि को की और कौन-कौन से ग्राम या मोहल्लों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति कब-कब दी गई ? कार्यकर्ता एवं सहायिका नियुक्ति हेतु कितने-कितने केन्द्रों के लिए विज्ञापन किस-किस तिथि को जारी किया गया ? (ख) जारी विज्ञापन के अनुसार आवेदिकाओं के प्राप्त आवेदन पर कितने आंगनबाड़ी या मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए कब-कब कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को नियुक्ति दी गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखण्ड में आईसीडीएस तृतीय चरण विस्तार अंतर्गत नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी की स्वीकृति हेतु जिला स्तर से जिला कार्यक्रम अधिकारी रायगढ़ द्वारा दिनांक 14-05-2009 को प्रस्ताव राज्य स्तर पर प्रेषित किया गया. प्राप्त प्रस्ताव की ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-1" अनुसार है. आंगनबाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृति हेतु भारत शासन द्वारा निर्धारित जनसंख्या मापदण्ड पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-2" अनुसार है. छ. ग. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश क्रमांक-2239/1473/2010/मबावि/50 रायपुर, दिनांक 29-07-2010 द्वारा आईसीडीएस तृतीय चरण विस्तार अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति दी गई. पुसौर विकासखण्ड अंतर्गत आईसीडीएस तृतीय चरण विस्तार अंतर्गत स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-3" अनुसार है. पुसौर विकासखण्ड में आईसीडीएस तृतीय चरण विस्तार अंतर्गत स्वीकृत 108 आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका पद हेतु तथा 48 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु एकीकृत बाल विकास परियोजना पुसौर द्वारा दिनांक 27-09-2010 को सूचना जारी की गई. (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी कार्यकर्ता नियुक्ति के लिए जारी सूचना के अनुसार प्राप्त आवेदिकाओं के आवेदन पर 92 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं 79 आंगनबाड़ी सहायिकाओं एवं 45 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की तिथिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे क्रमशः "परिशिष्ट-4", "परिशिष्ट-5" एवं "परिशिष्ट-6" अनुसार है.

विकासखण्ड आरंग, अभनपुर, कसडोल एवं बिलाईगढ़ में मनरेगा के तहत निर्माण कार्यों में फर्जी व्हाउचर के आधार पर आर्थिक अनियमितता के दर्ज प्रकरण

8. (क. 164) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायपुर के विकासखण्ड आरंग, अभनपुर, कसडोल एवं बिलाईगढ़ अंतर्गत किन-किन ग्रामों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्माण कार्यों में फर्जी बिल व्हाउचर के आधार पर गबन व आर्थिक अनियमितता करने के संबंध में किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध किन-किन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है ? (ख) क्या सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, यदि नहीं, तो आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक की जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) रायपुर जिले के आरंग विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम बीरबीरा एवं कुसमुंद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत फर्जी बिल के आधार पर 02 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं. 1. थाना आरंग, जिला रायपुर में अपराध क्रमांक 185/11 धारा 409, 420 भादवि में दिनांक 28-07-11 को (1) रामखिलावन साहू पिता स्व. परमानंद साहू उम्र 44 वर्ष (2) रूखुराम साहू पिता श्री खोरबाहरा साहू उम्र 36 वर्ष, (3) बेनीराम ध्रुव पिता श्री सेवकराम ध्रुव, उम्र 28 वर्ष, साकिनन बिरबीरा के विरुद्ध कायम किया गया. 2. थाना आरंग, जिला रायपुर में अपराध क्रमांक 301/11 धारा 420, 34 भादवि में दिनांक 14-11-11 को (1) पूर्व सरपंच रतनलाल कोसरिया पिता मंगलो कोसरिया उम्र 52 वर्ष, (2) सचिव शिवकुमार साहू पिता नाथूराम उम्र 40 वर्ष (3) सरपंच हरिलाल सोनकर पिता सदाराम सोनकर उम्र 44 वर्ष, (4) सचिव गेंदलाल पटेल साकिनन कुसमुंद के विरुद्ध दर्ज किया गया. प्रश्न में उल्लेखित अन्य विकासखण्डों में ऐसा कोई प्रकरण दर्ज नहीं है. (ख) दोनों प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी अभी नहीं की गई है, दोनों प्रकरण विवेचना में है.

जिला महासमुंद में पटवारियों को प्रदत्त कम्प्यूटर

9. (क. 185) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले में कितने पटवारी हल्के हैं तथा दिनांक 22-11-2011 की स्थिति में कितने पटवारियों को कम्प्यूटर दिया गया है ? (ख) उक्त तिथि की स्थिति में कितने कम्प्यूटर चालू हैं और कितने बन्द हैं ? बंद होने का क्या कारण है ? रिपेरिंग व्यय हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है ? (ग) जिले में कितने पटवारियों को आवास सह कार्यालय आवंटित किया गया है, तहसीलवार बतायें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जिले में 254 पटवारी हल्के हैं तथा 22-11-2011 की स्थिति में 166 पटवारियों को कम्प्यूटर प्रदाय किया गया है. (ख) उक्त तिथि की स्थिति में 91 कम्प्यूटर चालू है तथा 75 कम्प्यूटर बंद है. हार्ड डिस्क, भूईया कार्यक्रम एवं माइक्रोसाफ्ट आफिस की खराबी के कारण बंद है. रिपेरिंग व्यय हेतु वर्ष 2011-12 में राशि आवंटित नहीं की गई है. (ग) जिले में पटवारियों को तहसील महासमुन्द में 34, तहसील पिथौरा में 27, तहसील बागबाहरा में 28, तहसील सरायपाली में 8 एवं तहसील बसना में 5 कुल 102 पटवारी आवास सह कार्यालय आवंटित किया गया है.

महासमुन्द जिले में अतिवृष्टि से हुई हानि तथा प्रदत्त मुआवजा

10. (क. 186) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले में वर्ष 2011 में अतिवृष्टि के कारण हुई हानि के लिए प्रदत्त मुआवजा राशि विकासखण्डवार बतायें ? (ख) महासमुन्द जिले के बसना एवं सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत अतिवृष्टि के कारण मकान, फसल, जनहानि, पशुहानि आदि का अलग-अलग क्षति तथा मुआवजा का विवरण बतायें ? (ग) अतिवृष्टि से होने वाली हानि से बचने हेतु नाली-नालों के तटबंध बनाने हेतु शासन की क्या योजना है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) महासमुन्द जिले में वर्ष 2011 में अतिवृष्टि के कारण हुई हानि के लिए मुआवजा वितरण की विकासखण्डवार जानकारी—महासमुन्द में रूपये 37,31,600.00, बागबाहरा में रूपये 40,52,600.00, पिथौरा में रूपये 32,33,798.00, बसना में रूपये 20,10,000.00 तथा सरायपाली में रूपये 17,48,000.00. (ख) बसना में 1103 मकान रूपये 20,10,000.00 सरायपाली में 1187 मकान रूपये 17,48,000.00 उक्त विकासखण्डों में फसल क्षति, जनहानि एवं पशुहानि नहीं हुई है. (ग) कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार राशि आवंटित की जाती है.

लोरमी वि. खं. में संचालित भवनविहीन आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु भवन व्यवस्था

11. (क. 200) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बिलासपुर के लोरमी विकासखंड के अंतर्गत कौन-कौन से गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, इनमें से कितने आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन बन गये हैं एवं कितने भवन विहीन हैं, नाम सहित विवरण दें ? (ख) प्रश्न “क” में पूछे गये भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) बिलासपुर जिले के लोरमी विकासखण्ड अन्तर्गत 388 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है इन संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 153 आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु भवन स्वीकृत है, जिनमें से 106 आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन बन गये हैं तथा शेष 282 केन्द्र भवनविहीन है. इनमें से 47 भवन निर्माणधीन है/स्वीकृत किन्तु अप्रारम्भ है. ग्रामवार/केन्द्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

प्रदेश में डेंगू एवं मलेरिया से हुई मौतें

12. (क. 201) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह जनवरी, 2011 से लेकर 25 नवंबर, 2011 तक छ. ग. प्रदेश में मलेरिया, डेंगू के कितने मरीज मिले ? कितने व्यक्तियों की इस बीमारी के कारण मृत्यु हुई ? मलेरिया एवं डेंगू से जिलेवार पीड़ितों एवं मृतकों की संख्या दें ? (ख) जिला बिलासपुर में विकासखण्ड लोरमी, विकासखण्ड पेण्ड्रा, विकासखण्ड गौरेला, विकासखण्ड कोटा में प्रश्न “क” की अवधि में मलेरिया एवं डेंगू के कितने पीड़ित मिले कितने मर गये हैं विकासखण्डवार आंकड़े दें ? (ग) प्रश्न “ख” में पूछे गये विकासखंडों में मलेरिया, डेंगू से बचाव के क्या-क्या उपाय किये गये हैं विकासखंडवार विवरण दें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) + संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार. (ख) + संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार. (ग) + संलग्न प्रपत्र “स” अनुसार.

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने की क्षमता विस्तार हेतु प्रदत्त राशि

13. (क. 220) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने की क्षमता विस्तार के लिये राज्य शासन द्वारा राशि उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां, तो कब-कब और कितनी-कितनी ? क्या क्षमता विस्तार किया गया ? यदि नहीं, तो उक्त राशि का उपयोग किनके-किनके आदेश से किस-किस कार्य पर हुआ ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : जी हां, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने को क्षमता विस्तार हेतु राज्य शासन द्वारा मई, 2007 में राशि रूपये 6.05 करोड़ (छ: करोड़ पांच लाख मात्र) ऋण उपलब्ध कराया गया था. कारखाने का क्षमता विस्तार नहीं किया गया. उक्त राशि में से रु. 5.55 करोड़ (रूपये पांच करोड़ पचपन लाख) का उपयोग पंजीयक की अनुमति से कृषकों को बोनस भुगतान में एवं राशि रूपये 50.00 लाख (रूपये पचास लाख) का उपयोग कारखाना प्रबंधन द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान में किया गया.

भू-राजस्व संहिता की धारा 234, 237 से संबंधित भूमि का आवंटन

14. (क. 221) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर, रायपुर एवं रायगढ़ जिले में भू-राजस्व संहिता की धारा 234, 237 से संबंधित कुल कितनी-कितनी भूमियों का आवंटन किन-किन औद्योगिक इकाईयों को किया गया है ? (ख) उक्त जिलों में उक्त धाराओं से संबंधित कितनी-कितनी भूमियों पर किन-किन औद्योगिक इकाईयों का कब्जा है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

राजनांदगांव जिला में राजगामी संपदा अंतर्गत स्थित भूमि का आवंटन

15. (क. 230) **श्री भोलाराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में राजगामी संपदा अंतर्गत कितनी-कितनी भूमि, कहां-कहां स्थित है, पटवारी हल्का एवं खसरावार जानकारी प्रदान करें ? (ख) प्रश्नांश “क” में वर्णित भूमि में से कितनी-कितनी भूमि कब-कब, किस-किस को, कितने-कितने समय के लिए कितनी राशि के एवज में एवं किस प्रयोजनार्थ प्रदाय की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) श्रीमती सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा समिति के अंतर्गत राजनांदगांव जिले के 38 ग्रामों में 2243.39 एकड़ कुल भूमि है. समस्त भूमि की जानकारी “परिशिष्ट ए” एवं पटवारी हल्का तथा खसरावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ए-1” पर है. (ख) 1. विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं को कुल 24 प्रकरणों में 204.82 एकड़ भूमि दी गई है. जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे “परिशिष्ट बी” में है. 2. राजगामी संपदा की कुल 23 ग्रामों में स्थित कुल रकबा 2039.91 एकड़ भूमि 1 वर्ष की लाइसेंस पर महिला स्वयं सहायता समूह एवं ठेकेदारों को कृषि कार्य के लिए दी गई है. जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे “परिशिष्ट सी” में है. 3. राजगामी संपदा की गोलबजार 5.85 एकड़ में 379 निवासी एवं व्यवसायी किरायेदारों को प्लाट/मकान किराये पर दिया गया है. जानकारी पुस्तकालय में रखे “परिशिष्ट डी” में है, इसके अतिरिक्त शहर एवं 6 ग्रामों में वर्गीकृत 30 प्लाट/मकान को किराएदारी पर दिया गया है. जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे “परिशिष्ट डी-1” पर है. 4. राजनांदगांव जिला में स्थित राजगामी संपदा के 30 ग्रामों में वर्गीकृत 69 बगीचे, कोठारबाड़ी, पालकछार 1 वर्ष हेतु 3 तालाब 5 वर्ष के लायसेंस पर दिया गया है, जिसकी ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय रखे “परिशिष्ट इ” में है.

जिला राजनांदगांव में दत्तक पुत्री योजनांतर्गत लाभान्वित निर्धन बालिकाएं

16. (क. 231) **श्री भोलाराम साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दत्तक पुत्री योजनांतर्गत शासन द्वारा राजनांदगांव जिले में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में दिनांक 25-11-11 तक कौन-कौन से व्यक्ति/संस्था/समितियों से कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त कर किन-किन निर्धन बालिकाओं को किस-किस शाला में प्रवेश दिलवाया गया है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : जानकारी संकलित की जा रही है.

बाढ़ प्रवाहितों को प्रदत्त मुआवजा

17. (क. 241) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह सितंबर 2011 में हुई भारी बारिश एवं भयावह बाढ़ से महानदी के किनारे कुल कितने गांव में कितनी संख्या में मकान ध्वस्त हुये ? क्षति की जानकारी बाढ़ प्रवाहित ग्रामों के आधार पर दें. (ख) बाढ़ से तबाह हुए लोगों को प्रशासन द्वारा कुल कितनी-कितनी मुआवजा राशि प्रदाय की गई है ? प्रति मकान एवं प्रति एकड़ क्षति पूर्ति की जानकारी दें. यह भी बतावें की कितने प्रभावितों को सहायता राशि वितरित नहीं की जा सकी है ? (ग) क्या बाढ़ प्रभावित लोगों के पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकानों को पुनः निर्माण किया गया है ? यदि नहीं, तो इस हेतु प्रदेश सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

प्रदेश में धान खरीदी की जानकारी

18. (क. 242) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के विभिन्न जिलों में 25-11-2011 तक कुल कितनी-कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई है ? जिलेवार खरीदे गये धान की मात्रा की किस्मवार जानकारी दें. (ख) उक्त अवधि तक कय धान हेतु कुल कितनी राशि का भुगतान किसानों को किया जा चुका है ? कितना बकाया है ? जिलेवार भुगतान किये गये रकम व बकाया रकम की जानकारी दें ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) एवं (ख) जानकारी + संलग्न परिशिष्ट में है.

जिला दुर्ग को मितानिन कार्यक्रम के तहत प्रदत्त एवं व्यय राशि

19. (क. 253) **श्री विरेन्द्र कुमार साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मितानिन कार्यक्रम के तहत राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र को कितनी राशि किस मद से वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में दी गई है ? (ख) दुर्ग जिले को कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी व्यय हुई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) दुर्ग जिले को वर्ष 2010-11 में 122.16 लाख राशि आवंटित की गई जिसके विरुद्ध 160.02 लाख रुपये एवं वर्ष 2011-12 में 70.76 लाख राशि आवंटित की गई जिसके विरुद्ध 40.20 लाख रुपये व्यय की गई है.

गुंडरदेही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित आयुर्वेदिक औषधालय में स्वीकृत पद

20. (क. 255) **श्री विरेन्द्र कुमार साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले के गुंडरदेही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं ? (ख) संचालित आयुर्वेदिक औषधालय में कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) दुर्ग जिले के गुंडरदेही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 20 आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं. (ख) संचालित आयुर्वेदिक औषधालय में 82 पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों के विरुद्ध 70 कर्मचारी कार्यरत हैं.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में कटाव रोकने संबंधी प्रचलित कार्यवाही

21. (क. 261) **महंत रामसुन्दर दास** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिलादेही, बम्हनीडीह, बसंतपुर, अमोदा, किकिरदा, अचरितपाली, कटही, डोरमा, मिरौली, मरघट्टी, देवगांव की जमीन नदी में अत्यधिक कटाव हो रहा है इसके बचाव के लिये विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? (ख) क्या उक्त ग्रामों की जमीन कटाव को रोकने संबंधी प्रक्रिया विभाग में प्रचलित है ? यदि हां, तो उसकी अद्यतन स्थिति क्या है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के इन समस्त ग्रामों में बाढ़ से कटाव को रोकने के लिए जल संसाधन विभाग के नोडल अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर को सर्वे कर प्राक्कलन बनाने के लिए निर्देशित किया गया है. (ख) विभाग में कोई प्रक्रिया प्रचलित नहीं है. अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जिला जांजगीर-चांपा में स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों की स्थिति

22. (क. 264) **महंत रामसुन्दर दास** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में कुल कितने जिला स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं विकासखण्डवार बतायें ? (ख) जिला जांजगीर-चांपा के उक्त पदों में स्वीकृत पद कितने हैं एवं कार्यरत कितने हैं, प्रत्येक केन्द्रों का पृथक-पृथक बतायें ? (ग) जिला जांजगीर-चांपा के समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों के अनुरूप नियुक्तियां कब तक की जावेगी, बतायें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार. (ख) †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार. (ग) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में दवाई/उपकरण की खरीदी

23. (क. 275) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर को वर्ष 2011-12 में दवाई/उपकरण की खरीदी के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ? (ख) कंडिका “क” की खरीदी के लिए टेन्डर कब किया गया, किन-किन फर्मों ने टेंडर भरे, किन-किन को आपूर्ति के लिए आदेश कब जारी किये गये ? (ग) कंडिका “ख” के टेन्डर में कितनी राशि की दवाई/उपकरण सप्लायर द्वारा 30 नवंबर, 2011 तक सप्लाई की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 1. डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल, रायपुर को वर्ष 2011-12 में दवाई खरीदी के लिए राशि रुपये 8.20 करोड़ (रुपये आठ करोड़ बीस लाख मात्र) आवंटित की गई है. 2. डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल, रायपुर को वर्ष 2011-12 में उपकरण खरीदी के लिए राशि रुपये 11.14 करोड़ (रुपये ग्यारह करोड़ चौदह लाख मात्र) आवंटित की गई है. (ख) जानकारी प्रपत्र “अ” में † संलग्न है. (ग) रुपये 54,13,707/- (रुपये चौवन लाख तेरह हजार सात सौ सात मात्र) की दवाईयां सप्लायर द्वारा दिनांक 30-11-2011 तक सप्लाई की गई. जानकारी प्रपत्र “ब”में † संलग्न है.

जिला रायपुर में अवैध शराब बिक्री/परिवहन के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

24. (क. 276) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल, 2011 से 30 नवंबर, 2011 तक रायपुर जिले के अंतर्गत विभिन्न थानों में अवैध शराब बिक्री/परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? विकासखण्डवार ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के प्रकरणों में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई, कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) कंडिका “क” के प्रकरणों में कुल कितनी मात्रा में देशी/विदेशी मदिरा जप्त की गई ? कितने वाहनों को राजसात किया गया, गाड़ी/वाहन मालिक नाम व वाहन क्रमांक का ब्यौरा दें ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला रायपुर के विभिन्न थानों में अवैध शराब बिक्री परिवहन के कुल 325 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं “ब” में दी गई है. (ख) अवैध शराब बिक्री के 275 प्रकरणों में 278 व्यक्तियों को एवं अवैध शराब परिवहन के 49 प्रकरणों में 72 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. 01 प्रकरण में आरोपी का पता नहीं चलने से गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. (ग) अवैध शराब बिक्री/परिवहन के दर्ज 325 प्रकरणों में 2546.73 लीटर देशी शराब एवं 1258.55 लीटर विदेशी शराब तथा 72.1 लीटर बीयर जप्त की गई है. 32 जप्तशुदा वाहनों को राजसात करने की कार्यवाही प्रचलन में है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “स” में दी गई है.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में आयुष्मिति योजनातर्गत लाभान्वित महिलाएं

25. (क. 279) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में दिनांक 25-11-11 तक आयुष्मिति योजनातर्गत कुल कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई ? इन्हें क्या-क्या सुविधायें प्रदान की गई ? हितग्राही के नाम सहित जानकारी प्रदान करें. (ख) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना हेतु किन-किन संस्थाओं को अधिकृत किया गया है.

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्षवार लाभान्वितों का विवरण निम्नानुसार है :-

क.	वर्ष	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1.	2009-10	214
2.	2010-11	निरंक
3.	2011-12	07
	योग	221

लाभान्वित सभी महिलाओं को निशुल्क भर्ती, इलाज व दवाईयों की सुविधाएं प्रदान की गईं। हितग्राहियों की नामवार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में है। (ख) खल्लारी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत इस वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु विकासखण्ड महासमुंद (ग्रामीण) में जय मेडिकल स्टोर्स महासमुंद, विकासखण्ड बागबाहरा में बग्गा मेडिकल स्टोर्स व महेश मेडिकल स्टोर्स बागबाहरा तथा विकासखण्ड पिथौरा अंतर्गत बंसल मेडिकल स्टोर्स पिथौरा को योजना के तहत भर्ती किये गये हितग्राहियों को दवाईयां उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। वर्षवार विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” में है।

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में सिंचित एवं असिंचित भूमि की जानकारी

26. (क. 280) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खल्लारी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत बागबाहरा, पिथौरा एवं महासमुंद तहसील के गांवों में कितनी-कितनी भूमि किस-किस उपयोग की है ? कितनी-कितनी भूमि सिंचित एवं असिंचित है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है।

कसडोल विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर शासकीय आवास निर्माण की स्वीकृति

27. (क. 296) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कसडोल के अंतर्गत विकासखण्ड पलारी के ग्राम रोहासी एवं ओडान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के समीप एक-एक एच टाईप एवं जी टाईप शासकीय आवास गृह निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था यदि हां, तो कार्य कब पूर्ण हुआ ? यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो कब तक पूर्ण होगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जी हां, स्वीकृत राशि में केवल एक-एक नग जी टाईप आवास गृह हेतु निविदा कर ली गई है। कार्य पूर्ण होने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

जिला महासमुंद में काबिज कास्त जमीन की अवैध बिक्री

28. (क. 301) **श्री अग्नि चंद्राकर** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में जनवरी 2005 से जनवरी 2009 तक शासन द्वारा कृषि हेतु प्रदाय कि गई काबिज कास्त जमीन, कोटवारी जमीन को बिना वैधानिक अनुमति के किन-किन ग्रामों में किन-किन लोगों द्वारा कितनी जमीन का विक्रय किया गया ? (ख) विक्रित जमीनों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, क्या जांच की गई है, कितने प्रकरणों में रजिस्ट्री निरस्त की गई कितने प्रकरण पुलिस में जांच हेतु भेजे गये ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) महासमुंद जिले में जनवरी 2005 से जनवरी 2009 तक शासन द्वारा कृषि हेतु प्रदाय की गई काबिज कास्त भूमि, कोटवारी जमीन को बिना वैधानिक अनुमति के ग्राम बोरियाझर तहसील महासमुंद के कोटवार बद्दीनारायण पिता धन्नूराम, जाति गांडा के द्वारा भूमि कुल खसरा नंबर 02 रकबा 4.04 हे. जमीन का विक्रय किया गया है। (ख) बिक्रित जमीन में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसमें जांच कर संबंधित ग्राम कोटवार के विरुद्ध थाने में एफ. आई. आर. दर्ज कराया गया है। रजिस्ट्री निरस्तीकरण की कार्यवाही इस कार्यालय से संबंधित नहीं है निरीक्षक थाना प्रभारी महासमुंद के पत्र दिनांक 27-09-2008 के अनुसार थाना महासमुंद के अपराध क्र. 275/08 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी ता. ही. में कोटवारी बद्दीनारायण पिता धन्नूराम गांडा साकिन बोरियाझर को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

रायपुर संभाग में मलेरिया के रोकथाम हेतु आवंटित एवं व्यय राशि

29. (क. 304) **श्री अग्नि चंद्राकर** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर संभाग में वर्ष 2009-10 से 23-11-2011 तक मलेरिया के कितने मरीजों का परीक्षण किया गया, कितने पॉजीटिव पाये गये, कितने मरीजों की मौत हुई जिलेवार, वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) मलेरिया के रोकथाम के लिये उल्लेखित अवधि में कितना आवंटन प्राप्त हुआ किस-किस मद में कितनी राशि व्यय की गई जिलेवार बतायें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार. (ख) † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार.

.....

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 281) की जानकारी]

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित योजनाओं की जानकारी

1. समेकित बाल विकास सेवा योजना
2. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
3. दत्तक पुत्री शिक्षा योजना
4. आयुष्मति योजना
5. महिला जागृति शिविर
6. धनलक्ष्मी योजना (बस्तर जिले के जगदलपुर विकासखण्ड एवं बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम् विकासखण्ड में संचालित)
7. सबला योजना (रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, बस्तर, सरगुजा जिले में संचालित)
8. किशोरी शक्ति योजना
9. मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना
10. छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालित महिला स्व-सहायता समूहों के लिए ऋण योजना
11. छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालित सक्षम योजना
12. छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालित स्वावलंबन योजना
13. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (बस्तर एवं धमतरी जिले में संचालित)

परिशिष्ट "दो"

[तारंकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 158) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

वर्ष	विकासखण्ड का नाम	समिति का नाम	अनियमितता/गबन	की गई कार्यवाही
2009-10	कसडोल	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति दुण्डरा	आर्थिक अनियमितता	अध्यक्ष श्री छतराम साहू को दोषी पाये जाने के कारण निकासन की कार्यवाही जारी है.
2010-11	बिलाईगढ़	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति भटगांव	आर्थिक अनियमितता	1. विक्रेता बाबूलाल साहू को उपभोक्ता बिजली की राशि जमा न करने के कारण सेवा से पृथक कर दिया गया है एवं अध्यक्ष को श्री साहू के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया है. समिति प्रबंधक श्री बहुर सिंह बेलवार को निलंबित कर विभागीय जांच जारी है.
	बिलाईगढ़	शाखा भटगांव के अधीन- 1. सलोनी कला 2. टुंड्री 3. बिलाईगढ़ 4. पिरवा 5. भटगांव	भटगांव की 5 समितियों में आर्थिक अनियमितता	2. तत्कालीन शाखा प्रबंधक रामखिलावन नाथक को स्थानांतरित कर विभागीय जांच जारी है.

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 260) के भाग (क) की जानकारी]

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न पंचायतों में कुल पेंशनधारियों की संख्या ग्रामवार जानकारी

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	क्र.	ग्राम का नाम	पेंशन योजना के तहत लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जनपद पंचायत जैजैपुर				
1.	नंदेली	1.	नंदेली	140
		2.	झखाडीह	0
2.	कचंदा	3.	कचंदा	349
3.	गुचकुलियां	4.	गुचकुलियां	85
		5.	पांडाहरदी	80
4.	दतौद	6.	दतौद	101
		7.	पर्थरा	81
5.	हरदीडीह	8.	हरदीडीह	136
		9.	अमलीडीह	98
6.	रींवाडीह	10.	रींवाडीह	45
		11.	आमाकोनी	32
7.	तुषार	12.	तुषार	127
		13.	गलगलाडीह	73
8.	परसाडीह	14.	परसाडीह	246
9.	कोटेतरा	15.	कोटेतरा	79
10.	खम्हरिया	16.	खम्हरिया	131
11.	अकलसरा	17.	अकलसरा	126
		18.	केकराभाट	99
12.	सेन्दुरस	19.	सेन्दुरस	190
13.	सलनी	20.	सलनी	114
		21.	धनुहारपारा	53
14.	भोधिया	22.	भोधिया	342
15.	ठठारी	23.	ठठारी	264
16.	दर्राभांठा	24.	दर्राभांठा	167
17.	आमगांव	25.	आमगांव	108
18.	छितापंडरिया	26.	छितापंडरिया	105
		27.	तलवा	73
19.	कांशीगढ़	28.	कांशीगढ़	200
20.	ओडेकेरा	29.	ओडेकेरा	366
21.	जर्वे	30.	जर्वे	55
		31.	गाड़ामोड़	35
		32.	जुनवानी	39

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.	कुटराबोड	33.	कुटराबोड	170
23.	बहेराडीह	34.	बहेराडीह	218
		35.	छिर्डीह	117
24.	सेन्दरी	36.	सेन्दरी	140
25.	अरसिया	37.	अरसिया	218
26.	रायपुरा	38.	रायपुरा	163
		39.	तान्डुलडीह	87
27.	सिरली	40.	सिरली	107
		41.	कुम्हारीपटान	51
28.	हरदी	42.	हरदी	80
		43.	बोईरडीह	46
29.	झालरौदा	44.	झालरौदा	158
		45.	लोहराकोट	106
30.	आमापाली	46.	आमापाली	62
		47.	बिछिया	43
31.	खजुरानी	48.	खजुरानी	162
32.	भोथीडीह	49.	भोथीडीह	117
		50.	शिकारीनार	43
33.	चिखलरौदा	51.	चिखलरौदा	73
		52.	बर्वा	47
34.	करौवांड़ीह	53.	करौवांड़ीह	130
		54.	मुलीडीह	86
35.	जमडी	55.	जमडी	102
		56.	डोमाडीह	77
36.	बोईरडीह	57.	बोईरडीह	88
		58.	बरेकेलखुर्द	94
		59.	खैरझिटी	65
37.	हरेटीखुर्द	60.	हरेटीखुर्द	72
		61.	घोराडीपा	61
38.	धिवरा	62.	धिवरा	198
39.	किकिरदा	63.	किकिरदा	156
40.	चिस्दा	64.	चिस्दा	228
41.	परसदा	65.	परसदा	223
42.	पिसौद	66.	पिसौद	116
		67.	भनेतरा	95
		68.	लालमाटी	78
43.	नगारीडीह	69.	नगारीडीह	45
		70.	झरप	37

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44.	मल्दा	71.	मल्दा	127
45.	पेण्डी	72.	पेण्डी	91
		73.	डोटमा	65
46.	मुक्ता	74.	मुक्ता	153
47.	कैथा	75.	कैथा	237
		76.	गुडरूकला	180
48.	हरेठीकला	77.	हरेठीकला	81
49.	करही	78.	करही	113
50.	बोडसरा	79.	बोडसरा	34
		80.	करमनडीह	33
		81.	सेमराडीह	34
51.	बरदुली	82.	बरदुली	83
		83.	तुमीडीह	70
52.	कलमीडीह	84.	कलमीडीह	107
		85.	खम्हारडीह	68
53.	मलनी	86.	मलनी	218
54.	देवरघटा	87.	देवरघटा	96
		88.	बैहागुडरू	78
		89.	गुजियाबोड	104
55.	बेलकरी	90.	बेलकरी	42
		91.	बावनबुड़ी	25
56.	डोगिया	92.	डोगिया	201
57.	चोरभट्टी	93.	चोरभट्टी	98
58.	बरेकेलकला	94.	बरेकेलकला	114
59.	देवरीमठ	95.	देवरीमठ	107
60.	धमनी	96.	धमनी	305
61.	भातमाहुल	97.	भातमाहुल	131
62.	हसीद	98.	हसीद	345
63.	दूंठी	99.	दूंठी	77
		100.	धीराभांठा	51
64.	अमोदा	101.	अमोदा	115
65.	बेलादुला	102.	बेलादुला	291
योग-				2172

जनपद पंचायत- बम्हनीडीह

1.	बम्हनीडीह	1.	बम्हनीडीह	487
2.	रोहदा	2.	रोहदा	92
		3.	भंवरली	68

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	गोविदा	4.	गोविदा	138
4.	नक्टीडीह	5.	नक्टीडीह	186
		6.	चोरहादेवरी	31
		7.	बरकुट	114
5.	करनौद	8.	करनौद	425
6.	पुछेली	9.	पुछेली	144
		10.	खपरीडीह	48
		11.	अमोदी	27
7.	लखाली	12.	लखाली	223
8.	भदरा	13.	भदरा	71
		14.	कोनियापाठ	25
9.	बोरसी	15.	औराडीह	9
		16.	माँहाडीह	41
		17.	बोरसी	127
		18.	भतवा	41
10.	पचोरी	19.	पचोरी	160
11.	सरवानी	20.	सरवानी	137
		21.	परसापाली	65
12.	झर्ना	22.	झर्ना	177
		23.	मोहगांव	65
13.	लखुरी	24.	लखुरी	138
14.	देवरानी	25.	देवरानी	188
15.	बसंतपुर	26.	बसंतपुर	88
		27.	देवरहा	77
16.	सेमरिया	28.	सेमरिया	173
17.	तालदेवरी	29.	तालदेवरी	259
18.	सिलादेही	30.	सिलादेही	72
		31.	महुवाडीह	38
19.	बिरा	32.	बिरा	465
20.	सोनाईडीह	33.	सोनाईडीह	60
		34.	चारपार	37
		35.	बरगढ़ी	25
21.	बसुंला	36.	बसुंला	203
22.	सोनादह	37.	सोनादह	160
		38.	डभराखुर्द	71
23.	बनडभरा	39.	बनडभरा	125
24.	कपिस्दा	40.	कपिस्दा	202

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25.	पोडीशंकर	41.	पोडीशंकर	336
		42.	कनकपुर	167
26.	पिपरदा	43.	भवरमाल	177
27.	अफरीद	44.	मुडपार	360
योग-				6322

जनपद पंचायत- मालखरीदा

1.	पिरदा	1.	पिरदा	433
		2.	डोगरीडीह	161
2.	बडेरबेली	3.	बडेरबेली	274
3.	पिहरीद	4.	पिहरीद	526
4.	अमलीडीह	5.	अमलीडीह	332
		6.	माहुलडीप	117
5.	घोघरी	7.	घोघरी	177
		8.	बरभांठा	73
6.	बडेसीपत	9.	बडेसीपत	620
7.	छपोरा	10.	छपोरा	502
8.	नरियरा	11.	नरियरा	572
9.	देवगांव	12.	देवगांव	267
10.	कुरदा	13.	कुरदा	583
		14.	कुरदी	251
11.	मरघटी	15.	मरघटी	313
12.	मूडपार	16.	मूडपार	261
		17.	भेडीकोना	115
13.	भड़ोरा	18.	भड़ोरा	84
		19.	जोगीडीपा	59
		20.	बरभांठा	59
14.	भूतहा	21.	भूतहा	196
		22.	छोटेरबेली	87
15.	डोमा	23.	डोमा	218
		24.	अचरितपाली	93
16.	रनपोटा	25.	रनपोटा	437
17.	बासीन	26.	बासीन	442
18.	अमेराडीह	27.	अमेराडीह	210
19.	मिरीनी	28.	मिरीनी	249
योग-				7711
महायोग-				26205

परिशिष्ट “चार”

[तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 251) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	खिलाड़ी का नाम	अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम	अर्जित पदक
1.	कु. जया कुंजाम	चाँथी एशियन कोई ओपन कराते चैम्पियनशिप- पुत्राजय (मलेशिया)	कांस्य पदक
	श्री प्रेम कुमार	प्रथम आई.एच.एफ. चैलेन्जर ट्रॉफी ढाका (बांग्लादेश)	स्वर्ण पदक
	श्री बीनू वासु	16वें एशियन गेम्स- गुआंगझू (चीन)	कांस्य पदक
	श्री फिरोज अहमद खान	16वें एशियन गेम्स- गुआंगझू (चीन)	कांस्य पदक
	श्री सलमान खान	कॉमनवेल्थ यूथ हेण्डबॉल, चैम्पियनशिप- कैमरून	कांस्य पदक
	श्री पी. दिनकर	कॉमनवेल्थ यूथ हेण्डबॉल, चैम्पियनशिप- कैमरून	कांस्य पदक
2.	श्री पी. सालोमन	यूरोपियन चैम्पियनशिप रशिया एवं वर्ल्ड यूनिवर्स चैम्पियनशिप जर्मनी	स्वर्ण पदक

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 277) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	समिति का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	(मात्रा विवंटल में)	
			वर्ष 2009-10 में शॉर्टेज की मात्रा	वर्ष 2010-11 में शॉर्टेज की मात्रा
1.	खल्लारी	खल्लारी	445.51	72.76
2.	सिरीपठारीमुड़ा	सिरीपठारीमुड़ा	243.45	393.77
3.	सुखरीडबरी	सुखरीडबरी	385.11	119.86
4.	गबीद	गबीद	84.82	1474.93
5.	चरीदा	चरीदा	88.49	543.20
6.	मामाभांचा	मामाभांचा	45.52	237.06
7.	खोपती	खोपती	9.80	149.83
8.	तेंदुकोना	तेंदुकोना	124.62	399.73
9.	खम्हरिया	खम्हरिया	733.40	341.24
10.	नर्रा	नर्रा	90.74	110.47
11.	वाघामुड़ा	वाघामुड़ा	150.61	605.69
12.	देवरी	देवरी	315.65	393.16
13.	कसेकेरा	कसेकेरा	55.72	421.18
14.	बसुलाडबरी	बसुलाडबरी	63.51	207.90
15.	मुंनगासेर	मुंनगासेर	160.17	501.55
16.	खेमडा	खेमडा	137.41	764.63
17.	गांजर	गांजर	17.58	59.51
18.	कोमाखान	कोमाखान	15.92	1161.39
		बकमा	111.90	160.90
19.	घोच	घोच	41.64	717.70
20.	सोनासिल्ली	सोनासिल्ली	35.94	50.77
21.	बदईपाली	बदईपाली	66.39	149.84
22.	सरकड़ा	सरकड़ा	4826.32	85.03
23.	बुंदेली	बुंदेली	85.92	190.68
24.	बेल्डीह	बेल्डीह	814.88	2016.16
25.	भुरकोनी	भुरकोनी	122.78	98.10
26.	पिथौरा	कौहाकुड़ा	708.89	71.11
महायोग			9982.69	11498.15

परिशिष्ट "छः"

[तारकित प्रश्न संख्या 10 (क) एवं (ख) की जानकारी]

जिला	अवधि	चोरी	डकैती	तूट	हत्या	बलात्कार	मार-पीट	पुलिस हिरासत में मौत	अनु. जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधि.	आग-धोखा-धड़ी जनी	किड-नेपिंग एवं कबाड़ चोरी	लोहा तस्करी	गांजा तस्करी	ब्राउन शेर को चोरी	लकड़ी शराब विक्री	अवैध लड़कियों को खुरानी घटनाएं	जहर नस्तली घटनाएं	मित्री महानगरी में बेचने की घटना			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
कुल पंजीबद्ध प्रकरण																					
01 जन. 2010 से																					
20 नव. 2011 तक																					
		375	5	62	100	166	152	0	51	22	60	56	14	38	10	5	818	3	0	0	1937
		95	2	42	88	156	142	0	41	16	40	43	14	35	8	1	757	3	0	0	1483
न्यायालय में पेश प्रकरण																					
कुल पंजीबद्ध प्रकरण																					
01 जन. 2010 से																					
20 नव. 2011 तक																					
		44	3	18	67	114	123	0	74	9	15	0	0	3	0	0	232	0	0	23	725
		20	2	7	54	94	109	0	64	5	10	0	0	2	0	0	187	0	0	9	563
न्यायालय में पेश प्रकरण																					
कुल पंजीबद्ध प्रकरण																					
01 जन. 2010 से																					
20 नव. 2011 तक																					
		205	6	19	70	121	1101	0	61	8	48	38	40	58	1	11	995	0	0	0	2782
		88	2	6	48	97	1018	0	46	4	28	29	16	63	1	1	985	0	0	0	2432
न्यायालय में पेश प्रकरण																					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	कुल पंजीबद्ध प्रकरण																					
	01 जन. 2010 से	152	2	24	96	137	940	0	58	19	64	31	19	42	0	5	614	0	1	3	2207	
	20 नव. 2011 तक																					
	न्यायालय में पेश प्रकरण	94	1	15	85	121	876	0	39	13	41	26	10	42	0	4	609	0	1	1	1978	
	कुल पंजीबद्ध प्रकरण																					
	01 जन. 2010 से	141	5	33	131	143	169	0	55	10	38	51	0	30	1	6	839	0	0	1	1653	
	20 नव. 2011 तक																					
	न्यायालय में पेश प्रकरण	64	3	21	104	124	158	0	51	8	31	45	0	28	1	3	812	0	0	0	1453	
	कुल पंजीबद्ध प्रकरण	917	21	156	464	681	2485	0	299	68	225	176	73	171	12	27	3498	3	1	27	9304	
	न्यायालय में पेश प्रकरण	361	10	91	379	592	2303	0	241	46	150	143	40	170	10	9	3350	3	1	10	7909	

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 293) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

ग्राम पंचायत	आश्रित ग्राम	कुल बी.पी.एल. परिवार	वर्ष 2010-11 में स्मार्ट कार्ड बनाये गये परिवारों की संख्या	श्रेष्ठ परिवार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विकासखण्ड पलारी				
अछोली	अछोली	96	45	51
अछोली	गातापार	118	38	80
अमेरा	अमेरा	312	188	124
अमेठी	अमेठी	24	21	3
अमेठी	खैरा	32	0	32
अमेठी	टेमारी	47	27	20
औरासी	छिराही	29	12	17
बलोदी	बलोदी	326	161	165
बम्हनी	बम्हनी	164	96	68
बंसबिनोरी	अहमदपुर	19	0	19
बंसबिनोरी	बंसबिनोरी	142	83	59
बंसबिनोरी	कानाकोट	9	0	9
बाटगन	बाटगन	117	50	67
भवानीपुर	भवानीपुर	45	34	11
भवानीपुर	जुनवानी	18	14	4
बिजराडीह	बिजराडीह	126	90	36
बिजराडीह	बोदा	33	22	11
बिजराडीह	मोहन	34	20	14
बिनीरी	बिनीरी	77	53	24
बोईरडीह	खपरी	59	41	18
बोहरडीह	बोहरडीह	39	23	16
बोहरडीह	कुची	21	0	21
बोहरडीह	लटेरा	18	10	8
चरोदा	चरोदा	240	155	85
छारकापुर	छारकापुर	236	53	183
छेडिया	छेराकाडीह	28	21	7
छेडिया	छेडिया	70	42	28

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
चोरहाडीह	चोरहाडीह	74	33	41
चुचरुंगपुर	चुचरुंगपुर	73	49	24
डाटन खैरा	डाटन खैरा	114	68	46
दाटन प	दाटन प	340	189	151
दाटन प	नागपुर	111	40	71
देवगाव	देवगाव	55	42	13
देवगाव	जुनवानी	77	62	15
देवगाव	मोहगांव	38	30	8
देओसुन्दरा	देओसुन्दरा	208	148	60
देतरेंगी	दंतरेंगी	157	112	45
धामनी	धामनी	48	0	48
धामनी	कोईरी	18	0	18
धोहराभाटा	धौराभाटा	91	3	88
धोहराभाटा	खैरावाडीह	16	0	16
गबौद (को)	गबौद (को)	82	62	20
गबौद (को)	सुन्त्री	33	23	10
गावाभाटा	अमलीडीह	18	0	18
गाबाभाटा	गादाभाटा	80	71	9
गैतरा	गादाकुसमी	53	0	53
गैतरा	गैतरा	134	97	37
धिरघोल	धिरघोल	115	72	43
गिधपुरी	गिधपुरी	43	36	7
गिरा	गिरा	34	26	8
गिरा	पाठारीडीह	21	20	1
गितकेरा	गितकेरा	36	25	11
गितकेरा	परसाडीह	38	28	10
गोदा	गोदा	37	31	6
गुमा	गुमा	61	36	25
हरीनभाटा	हरीनभाटा	116	68	48
जारा	जारा	72	42	30
जावें	जावें	100	79	21
केसला	कौवाडीह	7	6	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
केसला	केसला	76	49	27
खैरा	खैरा	82	65	17
खैरा	लूटूडीह	32	25	7
खपरी (भ)	खपरी (भ)	21	8	13
खपरी (भ)	रीवाडीह	13	4	9
खपरी (भ)	टामोरी	23	0	23
खपरी (प)	खपरी (प)	33	0	33
खपरी (प)	पारसवानी	20	13	7
खपरी (प)	सकरीपार	65	52	13
खारटोरा	खारटोरा	142	114	28
कोदवा	कोदवा	32	17	15
कोडिया	जंगलोर	75	48	27
कोडिया	कोडिया	61	24	37
कोनारी	कोनारी	144	62	82
कोनारी	सिरसाही	32	25	7
कोसमंदा	कोसमंदा	91	72	19
कोसमंदा	रामपुर	60	46	14
कोसमंदा	कोसमंदा	244	150	94
कुकदा	घोटिया	89	0	89
कुकदा	कुकदा	81	69	12
कुकदा	पाहनदा	61	51	10
कुसमी	कुसमी	190	139	51
लक्षनपुर	लक्षनपुर	76	51	25
लक्षनपुर	ठेलकी	18	9	9
मालिन	गाबौद	52	27	25
मालिन	मालिन	42	30	12
मालिन	माहतारा	21	13	8
मालपुरी	भरवाडीह	29	26	3
मालपुरी	मालपुरी	34	22	12
मुढपार	मुढपार	98	52	46
मुढपार	सानदी	47	34	13
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 01	76	61	15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 02	98	57	41
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 03	89	71	18
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 04	97	60	37
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 05	108	68	40
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 06	90	55	35
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 07	112	51	61
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 08	129	91	38
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 09	49	21	28
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 10	16	14	2
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 11	69	48	21
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 12	90	61	29
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 13	90	63	27
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 14	38	19	19
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 15	112	67	45
फुन्दरडीह	भालूकोना	1	0	1
फुन्दरडीह	बोयेरडीह	20	0	20
फुन्दरडीह	पत्थरचुवा	55	43	12
फुन्दरडीह	फुन्दरडी	38	23	15
फुन्दरडीह	सेमहराडीह	17	14	3
रसोटा	रसोटा	138	69	69
रेंगाडीह	सुसबाडीह	17	15	2
रेंगाडीह	रेंगाडीह	27	24	3
रोहासी	जोरादबारी	12	1	11
रोहासी	रोहासी	125	51	74
साहदा	कौवाडीह	30	25	5
साहदा	सोहदा	18	0	18
सेहा	बेलहा	86	38	48
सेहा	सेहा	13	10	3
साकरी (प)	बोडतारा	1	1	0
साकरी (प)	साकरी (प)	74	63	11
साकरी (प)	तिला	43	34	9
साकरी सा	सकरी	49	46	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
साकरी सा	सुन्द्री	76	58	18
सलोनी	सलोनी	198	109	89
साराडीह	छेराकाडीह	35	30	5
साराडीह	साराडीह	66	55	11
सर्ग	सर्ग	46	44	2
सर्ग	सिंघोरा	95	78	17
सारसेनी	सारसेनी	69	59	10
सरहा	ससहा	193	163	30
सेमरिया	सेमरिया	5	2	3
सिसदेवरी	सिसदेवरी	53	46	7
सीतापार	लारिया	143	43	100
सीतापार	सीतापार	80	34	46
सोनार देवरी	धौराभाठा	8	6	2
सोनार देवरी	सोनार देवरी	38	27	11
सुन्द्रावन	मतवाही	18	18	0
सुन्द्रावन	सुन्द्रावन	105	73	32
टेलसी	तेलसी	189	114	75
तिल्दा	गधीडीह	13	8	5
तिल्दा	तिल्दा	171	141	30
तिपावन	लाकाडिया	44	38	6
तिपावन	नवागांव	86	66	20
तिपावन	तिपावन	116	39	77
उदन	उदन	230	116	114

विकासखण्ड लवन, आई.आर. सर्किल

अमलडीहा	अमलडीहा	116	56	60
तुरमा	अमलडीहा	27	0	27
अमलकुंडा	अमलकुंडा	36	2	34
बागुबुडा	बागुबुडा	240	109	131
पंडरिया	बाजारभाटा	44	36	8
खैदा (खैरा)	बामहनपुरी	93	62	31
बरदा	बरदा	265	192	73

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अमलकुंडा	भरदा	21	12	9
सिंधारी	भालूकोना	61	40	21
भरसेला	भरसेला (नया)	35	24	11
बिटकुली	बिटकुली	141	68	73
खँदा (द)	बोईरडीह	21	0	21
चंगोरी	चंगोरी	69	40	29
चिचिरदा	चिचिरदा	59	33	26
खम्हारडीह	चिरपोटा	69	55	14
हरदी	चिटावर	37	24	13
डमरू	डमरू	190	114	76
भरुआडीह	दाबाडीह	19	0	19
बरदा	दनदेनी	22	2	20
दनदेनी	दनदेनी	14	1	13
बिटकुली	धनगांव	19	2	17
धारासिव	धारासिव	69	40	29
गिंदोला	धौराभाटा	48	43	5
डोंगरा	डोंगरा	226	66	160
डोंगराडीह	डोंगरीडीह	15	8	7
डोटोपार	डोटोपार	26	5	21
अमलडीहा	गंगई	53	37	16
भरसेला नया	धुलधुल	57	46	11
गिंदोला	गिंदोला	149	84	65
हरदी	हरदी	145	84	61
कोहरीद	जामडीह	32	23	9
जुडा	जुडा	120	74	46
कुम्हारी	कैलाशगढ़	3	3	0
करदा	करदा	105	42	63
कारी	कारी	142	78	64
दनदेनी	करमांडीह	49	34	15
पाईजानी	कसीयारा	109	51	58
खँदा (खैरा)	खँदा	53	29	24
खँदा (द)	खँदा (द)	211	78	133

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खम्हारडीह	खम्हारडीह	78	3	75
अमलडीहा	खम्हरिया	51	0	51
डमरू	खरचा	23	3	20
खटियापाटी	खटियापाटी	294	77	217
कोहरीद	कोहरीद	177	91	86
कोरदा	कोरदा	79	47	32
कुम्हारी	कुम्हारी	16	2	14
लाहोद	लाहोद	126	76	50
तिल्दा	तिल्दा	103	73	30
डोटोपार	लावनबोड	81	42	39
मरदा	मरदा	54	1	53
मुंडा	मुंडा	75	59	16
नवापारा	मुसबाठोडी	17	0	17
नवापारा	नवापारा	46	28	18
पहंदा	पहंदा	20	1	19
पाईजानी	पाईजानी	183	106	77
चंगोरी	पैसर	75	28	47
पंडरिया	पंडरिया	60	39	21
पनगांव	पनगांव	225	179	46
पंडरिया	परसडीह	88	53	35
डोगरीडीह	परसापाली	9	6	3
सरखोर	सरखोर	131	78	53
इनदनी	सरकीपार	41	27	14
कोलीहा	सरवाडीह	31	22	9
चंगोरी	सेमरिया	122	75	47
सिंधारी	सिंधारी	65	50	15
सिरयाडीह	सिरयाडीह	191	25	166
खटियापाटी	सुधेली	48	44	4
चंगोरी	सुनसुनिया	62	34	28
तारासिव	तारासिव	116	97	19
तिल्दा	तिल्दा	242	162	80
तुरमा	तुरमा	114	32	82

पंचायत (1)	ग्राम (2)	श्रेष्ठ परिवार (3)
विकासखण्ड पलारी		
अछोली	अछोली	47
अछोली	गातापार	70
अमेरा	अमेरा	286
अमेठी	अमेठी	4
अमेठी	खैरा	10
अमेठी	टेमारी	20
औरासी	छिराही	11
बलोदी	बलोदी	221
बम्हनी	बम्हनी	91
बंसबिनोरी	अहमदपुर	6
बंसबिनोरी	बंसबिनोरी	59
बंसबिनोरी	कानाकोट	3
बाटगन	बाटगन	57
भवानीपुर	भवानीपुर	21
भवानीपुर	जुनवानी	4
बिजराडीह	बिजराडीह	59
बिजराडीह	बोदा	17
बिजराडीह	मोहन	16
बिनौरी	बिनौरी	77
बोईरडीह	खपरी	27
बोहरडीह	बोहरडीह	21
बोहरडीह	कुची	6
बोहरडीह	लटेरा	6
चरीदा	चरीदा	90
छारकापुर	छारकापुर	182
छेडिया	छेराकाडीह	1
छेडिया	छेडिया	25
चोरहाडीह	चोरहाडीह	32

(1)	(2)	(3)
चुचरूंगपुर	चुचरूंगपुर	25
डाटन खैरा	डाटन खैरा	73
दाटन प	दाटन प	188
दाटन प	नागापुर	58
देवगाव	देवगाव	22
देवगाव	जुनवानी	13
देवगाव	मोहगांव	16
देओसुन्दरा	देओसुन्दरा	76
देतरेंगी	दंतरेंगी	42
धामनी	धामनी	13
धामनी	कोईरी	4
धोहराभाठा	धौराभाठा	91
धोहराभाठा	खैरावाडीह	4
गबौद (को)	गबौद (को)	82
गबौद (को)	सुन्द्री	5
गाबाभाठा	अमलीडीह	2
गाबाभाठा	गादाभाठा	24
गैतरा	गादाकुसमी	53
गैतरा	गैतरा	134
घिरघोल	घिरघोल	72
गिधपुरी	गिधपुरी	16
गिरा	गिरा	13
गिरा	पाठारीडीह	2
गितकेरा	गितकेरा	14
गितकेरा	परसाडीह	14
गोदा	गोदा	37
गुमा	गुमा	45
हरीनभाठा	हरीनभाठा	61
जारा	जारा	35
जावें	जावें	70
केसला	कौवाडीह	7
केसला	केसला	76

(1)	(2)	(3)
खैरा	खैरा	82
खैरा	लूटूडीह	7
खपरी (भ)	खपरी (भ)	9
खपरी (भ)	रीवाडीह	9
खपरी (भ)	टामोरी	3
खपरी (प)	खपरी (प)	5
खपरी (प)	पारसवानी	20
खपरी (प)	सकरीपार	11
खारटोरा	खारटोरा	137
कोदवा	कोदवा	32
कोडिया	जंगलोर	31
कोडिया	कोडिया	24
कोनारी	कोनारी	121
कोनारी	सिरसाही	10
कोसमंदा	कोसमंदा	12
कोसमंदा	रामपुर	13
कोसमंदा	कोसमंदा	224
कुकदा	घोटिया	89
कुकदा	कुकदा	81
कुकदा	पाहनदा	61
कुसमी	कुसमी	190
लक्षनपुर	लक्षनपुर	33
लक्षनपुर	ठेलकी	12
मालिन	गाबौद	30
मालिन	मालिन	17
मालिन	माहतारा	7
मालपुरी	भरवाडीह	0
मालपुरी	मालपुरी	7
मुढपार	मुढपार	98
मुढपार	सानदी	47
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 01	38
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 02	66

(1)	(2)	(3)
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 03	48
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 04	64
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 05	75
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 06	48
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 07	72
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 08	69
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 09	27
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 10	9
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 11	42
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 12	39
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 13	49
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 14	23
पलारी नगर पंचायत	वार्ड नं. 15	57
फुन्दरडीह	भालूकोना	0
फुन्दरडीह	बोयेरडीह	4
फुन्दरडीह	पत्थरचुवा	-5
फुन्दरडीह	फुन्दरडी	12
फुन्दरडीह	सेमहराडीह	6
रसोटा	रसोटा	138
रंगाडीह	सुसवाडीह	2
रंगाडीह	रंगाडीह	5
रोहासी	ज़ोरादबारी	2
रोहासी	रोहासी	68
साहदा	कौवाडीह	12
साहदा	सोहदा	4
सेहा	बेलहा	30
सेहा	सेहा	2
साकरी (प)	बोडतारा	1
साकरी (प)	साकरी (प)	20
साकरी (प)	तिला	8
साकरी सा	सकरी	49
साकरी सा	सुन्नी	76

(1)	(2)	(3)
सलोनी	सलोनी	163
साराडीह	छेराकाडीह	6
साराडीह	साराडीह	8
सर्रा	सर्रा	46
सर्रा	सिंधोरा	95
सारसेनी	सारसेनी	24
सस्हा	ससहा	177
सेमरिया	सेमरिया	3
सिसदेवरी	सिसदेवरी	24
सीतापार	लारिया	98
सीतापार	सीतापार	46
सोनार देवरी	धौराभाटा	2
सोनार देवरी	सोनार देवरी	17
सुन्द्रावन	मतवाही	1
सुन्द्रावन	सुन्दावन	105
टेलसी	तेलसी	112
तिल्दा	गधीडीह	7
तिल्दा	तिल्दा	103
तिपावन	लाकाडिया	21
तिपावन	नवागांव	43
तिपावन	तिपावन	52
उदन	उदन	193

विकासखण्ड लवन, आई.आर. सर्किल

अमलडीहा	अमलडीहा	116
तुरमा	अमलडीहा	27
अमलकुंडा	अमलकुंडा	36
बागुबुडा	बागुबुडा	240
पंडरिया	बाजारभाटा	44
खैदा (खैरा)	बामहनपुरी	93
बरदा	बरदा	265
अमलकुंडा	भरदा	21

(1)	(2)	(3)
सिंधारी	भालूकोना	61
भरसेला	भरसेला (नया)	35
बिटकुली	बिटकुली	141
खैदा (द)	बोईरडीह	21
चंगोरी	चंगोरी	69
चिचिरदा	चिचिरदा	59
खम्हारडीह	चिरपोटा	69
हरदी	चिटावर	37
डमरू	डमरू	190
भरूआडीह	दाबाडीह	19
बरदा	दनदनी	22
दनदनी	दनदनी	14
बिटकुली	धनगांव	19
धारासिव	धारासिव	69
गिंदोला	धौराभाटा	48
डोंगरा	डोंगरा	226
डोंगरीडीह	डोंगरीडीह	15
डोटोपार	डोटोपार	26
अमलडीहा	गंगई	53
भरसेला नया	धुलधुल	57
गिंदोला	गिंदोला	149
हरदी	हरदी	145
कोहरौद	जामडीह	32
जुडा	जुडा	120
कुम्हारी	कैलाशगढ़	3
करदा	करदा	105
कारी	कारी	142
दनदनी	करमांडीह	49
पाईजानी	कसीयारा	109
खैदा (खैरा)	खैदा	53
खैदा (द)	खैदा (द)	211
खम्हारडीह	खम्हारडीह	78

(1)	(2)	(3)
अमलडीहा	खम्हरिया	51
डमरू	खरचा	23
खटियापाटी	खटियापाटी	294
कोहरीद	कोहरीद	177
कोरदा	कोरदा	79
कुम्हारी	कुम्हारी	16
लाहोद	लाहोद	126
तिल्दा	तिल्दा	103
डोटोपार	लावनबोड	81
मरदा	मरदा	54
मुंडा	मुंडा	75
नवापारा	मुसवाठोडी	17
नवापारा	नवापारा	46
पहंदा	पहंदा	20
पाईजानी	पाईजानी	183
चंगोरी	पैसर	75
पंडरिया	पंडरिया	60
पनगांव	पनगांव	225
पंडरिया	परसडीह	88
डोगरीडीह	परसापाली	9
सरखोर	सरखोर	131
दनदनी	सरकीपार	41
कोलीहा	सरवाडीह	31
चंगोरी	सेमरिया	122
सिंधारी	सिंधारी	65
सिरयाडीह	सिरयाडीह	191
खटियापाटी	सुधेली	48
चंगोरी	सुनसुनिया	62
तारासिव	तारासिव	116
तिल्दा	तिल्दा	242
तुरमा	तुरमा	114

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 265) के भाग (ख) की जानकारी]

विधान सभा क्षेत्र मस्तुरी के अंतर्गत इंदिरा हरेली सहेली योजना के तहत वितरित पट्टे की ग्रामवार जानकारी

क्र.	ग्राम का नाम	पट्टेदार की संख्या	खसरा नंबर	रकबा	सेपित पीधों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उनी	10	618	5.263	3645
2.	खमहरिया	16	619	9.716	7386
3.	कुली	14	32	7.085	5103
4.	मडई	15	988	6.072	4374
5.	बिटकुला	23	45	9.311	6561
6.	जुहली	7	132	2.834	2187
7.	नरगोडा	4	997	1.619	1458
8.	मचखण्डा	10	138/1	4.048	2916
9.	नवागांव	20	8	8.001	5832
10.	खजरी	3	7/1	3.036	2187
11.	सोठी	1	167	1.015	729
12.	दलदली	5	159	31.579	23328
13.	चाँहा	5	5/1	3.645	2916
14.	डाडकी	6	72	17.814	12122
15.	मटिया	51	21/1, 124/1, 238/1, 285, 287	45.159	32805
16.	सरसेनी	87	204/1, 286, 287/1, 440/1	01.498	57049
17.	बहतारा	17	432	17.379	21393
18.	गिधपुरी	33	1, 13	32.733	22057
19.	केवतरा	40	630/1, 634/1	42.292	28618
20.	सुकुलकारी	17	33/1, 60/1	17.120	12393
21.	धनगवां	23	394/1, 138, 206	23.150	16267
22.	ओखर	96	1045/1, 1032/1	97.166	70713
23.	उदईबंद	40	160/1	40.466	29118
24.	पतईडीह	24	6	19.438	13851
25.	जैतपुरी	8	149	8.740	5832
26.	हरदी	40	332/1	39.904	29160
	योग	615		576.075	420000

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 89) के भाग (क) की जानकारी]

विकासखण्ड- पोडीउपरोडा

सर्प काटने से मृत व्यक्तियों/निकटतम वारिश/दी गई मुआबजा राशि की जानकारी

क्र. (1)	मृत व्यक्ति का नाम (2)	निकटतम वारिश का नाम (3)	मुआबजा राशि (4)
1.	शामकुंवर	पति कल्याण सिंह	1,00,000.00
2.	सुकदेवसिंह	पत्नी पार्वती	1,00,000.00
3.	कु. हन्सी	पिता कांशीराम	1,00,000.00
4.	कु. चांदनी	पिता बृजलाल	1,00,000.00
5.	दुबराजसिंह	पत्नी कोताबाई	1,00,000.00
6.	गणेशराम	पत्नी बसंतीबाई	1,00,000.00
7.	फुलेश्वरी	पति दुलमसिंह	1,00,000.00
8.	अनंदराम	पत्नी फूलमतबाई	1,00,000.00
9.	बतेश्वर	पिता जवाहिरलाल	1,00,000.00
10.	विजयकुमार	पिता सुखराम	1,00,000.00
11.	जगोतियाबाई	पति जीतराम	1,00,000.00
12.	फूलमति	पति दयाराम	1,00,000.00
13.	कलमबाई	पति बुधराम	1,00,000.00
14.	बृजपाल	पिता सहिबरन	1,00,000.00
15.	रामवती	नाती महेन्द्रकुमार	1,00,000.00
16.	छतकुंवर	पिता उज्जवलसिंह	1,00,000.00
17.	आयुषकुमार	पिता शिवप्रसाद	1,00,000.00
18.	कु. लब्बी	पिता भीष्म सिंह	1,00,000.00
19.	अनुरागिनी	पिता भागवतसिंह	1,00,000.00
20.	शांतिबाई	पति चरणसिंह	1,00,000.00
21.	सुमित्राबाई	पति कुशलसिंह	1,00,000.00
22.	मानकुंवर	पुत्र बुधराम	1,00,000.00
23.	मानसाय	पिता रामसाय	1,00,000.00
24.	रमजनिया	पति जयभानसिंह	1,00,000.00
25.	सूरजलाल	पत्नी रामकली	भुगतान लंबित है.
26.	सुरेशसोनी	पत्नी पार्वती	भुगतान लंबित है.

गाज गिरने से मृत व्यक्तियों/निकटतम वारिश/दी गई मुआवजा राशि की जानकारी

क्र. (1)	मृत व्यक्ति का नाम (2)	निकटतम वारिश का नाम (3)	मुआवजा राशि (4)
1.	रामकुमार	पत्नी सरोजबाई	1,00,000.00
2.	राजीवलोचन	पिता रामखिलावन साहू	1,00,000.00
3.	देवनाथ	पत्नी सोनकुंवर	1,00,000.00
4.	संताबाई	पति चैतराम	1,00,000.00
5.	लब्दीबाई	पुत्र श्यामलाल	1,00,000.00
6.	विनोदकुमार	पिता बुधराम, ग्राम साखी	1,00,000.00
7.	विनोदकुमार	पिता बुधराम, ग्राम लरला/बरभांठा	भुगतान लंबित है.

विकासखण्ड-पाली

सर्प काटने से मृत व्यक्तियों/निकटतम वारिश/दी गई मुआवजा राशि की जानकारी

क्र. (1)	मृत व्यक्ति का नाम (2)	निकटतम वारिश का नाम (3)	मुआवजा राशि (4)
1.	फगुन सिंह	रामबाई	1,00,000.00
2.	विरेंद्र कुमार	पुष्पाबाई	1,00,000.00
3.	सवित्री कुमार	धनसाय	1,00,000.00
4.	झारिकाबाई	तिरिथलाल	1,00,000.00
5.	तिलमतबाई	घासीराम	1,00,000.00
6.	विजय कुमार	सीताराम	1,00,000.00
7.	मिलकुंवर	संतोष	1,00,000.00
8.	रूस बाई	अमीरदास	1,00,000.00
9.	सालिकराम	तिजियबाई	1,00,000.00
10.	लक्ष्मनिया	जयमंगल	1,00,000.00
11.	श्यामकुमार	फिरन सिंह	1,00,000.00
12.	सेकूराम	सजन बाई	1,00,000.00
13.	अनुजकुमार	जनसिंह	1,00,000.00
14.	शिवचरण	हेमसिंह	1,00,000.00
15.	श्रीमती सतरा	चैतराम	1,00,000.00
16.	सोनाबाई	तिजराम	1,00,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	मालती	परदेशी	1,00,000.00
18.	कु. रमिला	बनवासी	1,00,000.00
19.	कु. सतीबाई	होमकुंवर	1,00,000.00
20.	विद्या कुमारी	लगनसिंह	1,00,000.00
21.	सुकवाराबाई	रकवारसिंह	1,00,000.00
22.	पांथी बाई	शिवलाल	1,00,000.00
23.	बिसाहिन बाई	रामायण सिंह	1,00,000.00

गाज गिरने से मृत व्यक्तियों/निकटतम वारिश/दी गई मुआवजा राशि की जानकारी

क्र.	मृत व्यक्ति का नाम	निकटतम वारिश का नाम	मुआवजा राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गायत्रीबाई	अमरसिंह	1,00,000.00
2.	हरिशंकर	सुकवाराबाई	1,00,000.00
3.	कृपालसिंह	तिरिधबाई	1,00,000.00
4.	राजेशकुमार	धनीराम	1,00,000.00
5.	मंगलसिंह	भागमती	1,00,000.00
6.	डोमारसिंह	दिलबरिया	1,00,000.00
7.	नरेश कुमार	श्रीमती धनबाई	1,00,000.00

परिशिष्ट "दस"

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 239) के भाग (क) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ राज्य के मानव तस्करी से पीड़ित लड़कियों के लापता होने एवं बरामदगी संबंधी जिलेवार एवं वर्षवार जानकारी
वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं दिनांक 01-04-2011 से 24-11-2011

क्र.	जिला	वर्ष	रिपोर्ट	तफतीश	खात्मा	खारजी	गिरफ्तार		चालान		पेंडिंग		299 जा.	
							प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.
1.	जशपुर	2008-09	9	9	0	0	9	13	9	15	0	0	0	2
		2009-10	8	8	0	0	7	10	6	9	2	1	0	0
		2010-11	8	8	0	0	7	13	8	15	-	-	0	2
		01-04-2011 से 24-11-2011	8	8	0	0	6	7	2	3	6	4	0	0
		योग	33	33	0	0	29	43	25	42	8	5	0	4
2.	सरगुजा	2008-09	2	2	0	0	2	9	2	10	0	0	0	1
		2009-10	1	1	0	0	1	2	1	2	0	0	0	0
		2010-11	4	4	0	0	3	9	4	16	0	0	1	7
		01-04-2011 से 24-11-2011	2	2	0	0	2	3	1	3	0	0	0	0
		योग	9	9	0	0	8	23	8	31	0	0	1	8
3.	रायगढ़	2008-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009-10	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
		2010-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01-04-2011 से 24-11-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
महायोग			43	43	0	0	38	67	34	74	8	5	1	12

टीप:- लड़कियां शब्द से आशय, 21 वर्ष उम्र तक की बालिग लड़कियों को माना गया है.

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 173) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पदनाम (3)	स्वी. (4)	कार्य. (5)	रिक्त (6)
1.	सामु. स्वा. केन्द्र सरायपाली	मेडिसिन विशेषज्ञ	1	0	1
2.		सर्जरी विशेषज्ञ	1	0	1
3.		स्वीरोग विशेषज्ञ	1	0	1
4.		शिशुरोग विशेषज्ञ	1	1	0
5.		एनेस्थिसिया (पी.जी.एम.ओ.)	1	0	1
6.		खण्ड चिकित्सा अधिकारी	1	0	1
7.		सहा. शल्य चिकित्सक	2	2	0
8.		नर्सिंग सिस्टर	1	0	1
9.		बी.ई.ई.	1	0	1
10.		लेखापाल/सहा. ग्रेड-2	1	1	0
11.		संगणक/कम कम्प्यूटर डाटा आपरेटर	1	0	1
12.		सहा. ग्रेड-3/कम कम्प्यू. डाटा आपरेटर	1	0	1
13.		लेब टेक्नीशियन	1	1	0
14.		फार्मासिस्ट ग्रेड-2 कम स्टोर कीपर	2	1	1
15.		रेडियोग्राफर	1	0	1
16.		ड्रेसर ग्रेड-1	1	0	1
17.		स्टाफ नर्स	3	1	2
18.		पर्यवेक्षक (पुरुष)	1	1	0
19.		एल.एच.व्ही.	2	1	1
20.		एम.पी.डब्ल्यू. (महिला)	1	1	0
21.		एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष)	1	1	0
22.		नान मेडिकल सुपरवाइजर	1	1	0
23.		वाहन चालक	2	2	0
24.		ड्रेसर ग्रेड-1	1	0	1
25.		ओ.टी. अटेंडेंट	1	0	1
26.		चतुर्थ श्रेणी	2	2	0
27.		वार्ड ब्याय	2	2	0
28.		धोबी	1	0	1
29.		चौकीदार	1	0	1
30.		आया	1	1	0
31.		स्वीपर	1	0	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	प्रा. स्वा. केन्द्र पाटसेन्द्री	चिकित्सा अधिकारी	2	1	1
2.		फार्मासिस्ट ग्रेड-2	1	1	0
3.		नेत्र सहायक	1	1	0
4.		लेब टेक्नीशियन	1	1	0
5.		एम.पी.डब्ल्यू. (म.)	1	0	1
6.		ड्रेसर	1	0	1
7.		भृत्य/वार्डन्वाय	1	1	0
8.		आया/वार्डन्वाय	1	1	0
9.		स्वीपर	1	0	1
1.	प्रा. स्वा. केन्द्र बलोदा	चिकित्सा अधिकारी	2	1	1
2.		फार्मासिस्ट ग्रेड-2	1	0	1
3.		नेत्र सहायक	1	1	0
4.		लेब टेक्नीशियन	1	1	0
5.		एम.पी.डब्ल्यू. (म.)	1	0	1
6.		ड्रेसर	1	1	0
7.		भृत्य/वार्डन्वाय	1	0	1
8.		आया/वार्डन्वाय	1	1	0
9.		स्वीपर	1	1	0
1.	प्रा. स्वा. केन्द्र सिधोड़ा	चिकित्सा अधिकारी	2	1	1
2.		फार्मासिस्ट ग्रेड-2	1	1	0
3.		नेत्र सहायक	1	0	1
4.		एम.पी.डब्ल्यू. (म.)	1	0	1
5.		ड्रेसर	1	1	0
6.		आया/वार्डन्वाय	1	0	1
1.	प्रा. स्वा. केन्द्र तोषगांव	चिकित्सा अधिकारी	2	2	0
2.		फार्मासिस्ट ग्रेड-2	1	1	0
3.		नेत्र सहायक	1	0	1
4.		एम.पी.डब्ल्यू. (म.)	1	1	0
5.		ड्रेसर	1	1	0
6.		आया/वार्डन्वाय	1	0	1
योग-			73	39	34